अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 के
सम्यक और विधिसम्मत क्रियान्वयन के लिए

वन अधिकार समिति

और दावेदारों के प्रयोजनार्थ

सहायक पुस्तिका

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी
(वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006 के सम्यक और विधिसम्मत क्रियान्वयन के लिए

वन अधिकार समिति और दावेदारों के प्रयोजनार्थ

सहायक पुस्तिका

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

झारखण्ड सरकार

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रवेशिका	5
सामुदायिक वन अधिकारों के लिए प्रक्रिया	8
व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के लिए प्रक्रिया	12
वन अधिकार दावों के लिए उपयुक्त कुछ कार्यवाही का नमूना	19
सामुदायिक वन अधिकारों के दावों के लिए नमूना	24
व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के लिए नमूना	44

प्रवेशिका

आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन में निवास करते आये हैं और अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं। उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक लाभ के लिए वन आश्रित समुदायों को वनों से बेदखल किया और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया। आरक्षित और संरक्षित वन के बारे में कानून बनाया और आरक्षित वनों से उन्हें पूर्णरूप से बेदखल किया पर संरक्षित वनों को उपयोग करने के लिए कुछ रियायतें दी। आजादी के बाद भी सरकारें कानून बनाकर वनों पर लोगों की पहुँच को सीमित करती गयी जिस कारण वन आश्रित समुदाय वनों में अपराधी बन गये और वन विभाग वनों के मालिक बन गये।

अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अर्थात **–वन अधिकार कानून 2006** को प्रस्तुत करते समय केन्द्र सरकार ने उपरोक्त तथ्य को मान लिया और स्वीकार किया कि वन आश्रित समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और वन आश्रित समुदाय वन और पर्यावरण का अभिन्न अंग है।इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और वन आश्रित समुदायों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों को पुनःस्थापित करने के लिए वन अधिकार कानून बनाया गया है।

वन अधिकार कानून में 4 तरह के वन अधिकारों का जिक्र है।

1. वन और वन भूमि के उपयोग के लिए व्यक्तिगत अधिकार – (अधिनियम की धारा 3.(1)(क, च, छ, और ङ देखें) (दावा प्रपत्र ''क'')
2. वन और वन उपजों का उपयोग करने का सामुदायिक अधिकार (अधिनियम की धारा 3.(1) (ख,ग,घ,ड.,ज,ट, (दावा प्रपत्र ''ख'')
3. जंगल का संरक्षण, संवर्धन और प्रबन्धन का सामुदायिक अधिकार (अधिनियम की धारा 3.(1)(झ) देखें। यह सबसे महत्वपूर्ण सामुदायिक वन अधिकार है। (दावा प्रपत्र ''ग'')
4. सरकारी योजनाओं के लिए वन भूमि को उपयोग करने का अधिकार – (अधिनियम की धारा 3.(2) इसके अंतर्गत इस धारा में विनिर्दिष्ट सरकारी योजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन प्रत्येक योजना के लिए एक हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का उपयोग नहीं होगा और उसमें 75 से अधिक पेड़ नहीं काटा जायेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक योजना के लिए प्रस्ताव संबन्धित सरकारी विभाग ग्राम सभा के पास लायेंगे और ग्राम सभा की अनुशंसा के बाद आगे की कारवाई होगी। इस प्रावधान के लिए भारत सरकार के आदिवासी मंत्रालय ने अलग से नियमावली प्रकाशित किया है।

सामुदायिक वन अधिकार इसके अंतर्गत

- **निस्तार का अधिकार** – (अधिनियम की धारा 3.(1)(ख) अपने निजी उपयोग के लिए जिन चीजों को वन आश्रित समुदाय के लोग जंगल से लाते आये हैं उनको लाने के अधिकार को निस्तार का अधिकार कहते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत घर बनाने और कृषि के लिए औजार बनाने के लिए लकड़ी,बालू ,पत्थर, जलावन के

लिए सूखे लकड़ी इत्यादि लाने का अधिकार है, लेकिन किसी तरह के व्यावसायिक और बाजारू उपयोग के लिए उपरोक्त वन उपजों को लाने का अधिकार नहीं होगा।

- **लघु वन उपजों पर मालिकाना अधिकार** – (अधिनियम की धारा 3.(1)(ग) लघु वन उपज की परिभाषा के अंतर्गत (अधिनियम की धारा 2.(1)(झ) बाँस, केन्दू पत्ता, फल–फूल, साग–सब्जी, कन्द–मूल, मधु इत्यादि सभी पदार्थ शामिल है और मालिकाना अधिकार तथा उन्हें संग्रह करने, उपयोग करने, मूल्यवृद्धि करने और बेचने का अधिकार शामिल है। वन आश्रित समुदाय अपनी आजीविका के लिए इन लघु वन उपजों पर आश्रित रहते आये हैं। लघु वन उपजों का संग्रहण गाँव की सीमा के अंदर या बाहर के वन क्षेत्रों से हो सकता है।
- **मवेशियों को चराने का अधिकार और जंगल के जल स्रोतों से मछली एवं अन्य उप्तादों को संग्रहण करने का अधिकार** – (अधिनियम की धारा 3.(1)(घ) इसके अंतर्गत जंगल में मवेशियों को चराने और चारा लाने का अधिकार है तथा वन क्षेत्र के नदी, जलाशय जैसे जल स्रोतों से मछली एंव अन्य जल उत्पादों को संग्रहण करने का अधिकार है।
- **आदिम जनजाति मसुदायों को रहवास (Habittat) का अधिकार** – (अधिनियम की धारा 3.(1)(ङ) आदिम जनजाति समुदाय वन क्षेत्र के मूल निवासी है और उनका एक विशेष क्षेत्र है जो उनका रहवास है। उस पूरे क्षेत्र के जो आज अलग अलग राजस्व ग्रामों की सीमा में पड़ता है, के जंगल पर विचरण करने और लघु वन उपजों को संग्रहण करने का अधिकार है। (इसके लिए अलग से भारत सरकार के आदिवासी मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है)
- **वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का अधिकार** – (अधिनियम की धारा 3.(1) (ज) इस कानून के प्रायोजनों के लिए वन ग्राम की परिभाषा में (अधिनियम की धारा 2.(च) वन के अंदर अवस्थित सभी बस्तियाँ शामिल हैं, चाहे वह वन विभाग द्वारा बसाया गया वन ग्राम हो, अथवा अन्य बस्तियॉ हो जो 13.12.2005 के पहले से वन क्षेत्र में अवस्थित हों।
- **जैव विविधता तक पहुँच का अधिकार** एवं वनों से संबन्धित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण का अधिकार (अधिनियम की धारा 3.(1) (ट))
- शिकार करने को छोड़ कर बाकी सभी सामुदायिक अधिकार जो समुदाय परंपरा से उपभोग करते आये है। (अधिनियम की धारा 3.(1)(ठ) इसके अंतर्गत समुदाय परंपरा से अपने वन क्षेत्र के अंतर्गत उपयोग करते आये सरना, पूजा स्थल, देव स्थल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, खेल मैदान इत्यादि को उपयोग करते रहने का अधिकार है।
- उपरोक्त के अलावा नये सिरे से जंगल उजाड़ कर किसी भी तरह का उपयोग का अधिकार इस कानून के अंतर्गत नहीं है।
- **प्रपत्र ''ख''** में एक से अधिक ग्राम सभायें एक साथ वन और वन उपजों की उपयोग के लिए दावा कर सकते हैं। एक ही राजस्व ग्राम के टोला अथवा टोलों के समूह एक ही जंगल में जिसको वे परंपरा से उपयोग करते आये हैं, अलग अलग दावा कर सकते है। लेकिन **प्रपत्र ''ग''** में अमुक जंगल के लिए एक

से अधिक ग्राम सभायें दावा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक ही जंगल में एक से अधिक ग्राम सभाओं का प्रबन्धन संभव नहीं है।

(जहाँ तक संभव है ग्राम सभा/वन अधिकार समिति प्रपत्र "ख" और "ग" को एक साथ भरेंगे और सारी प्रक्रिया एक साथ पूरा करेंगें।)

ग्राम सभा

- वन अधिकार अधिनियम 2006 में इसे लागू करने के लिए 3 प्राधिकारियों का जिक्र है।
  1. ग्राम सभा (ग्राम सभा द्वारा गठित ग्राम वनाधिकार समिति (FRC)
  2. अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति (SDLC) और
  3. जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (DLC)
- एक प्राधिकारी के रूप में ग्राम सभा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
- इस कानून के प्रायोजनों के लिए ग्राम सभा की बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा उन में कम से कम 1/3 महिलाओं की उपस्तिति अनिवार्य हैं। यह और कि यदि वन अधिकारों के दावों के बारे में ग्राम सभा में कुछ प्रस्ताव पारित करना है, तो कम से कम 50% दावेदार अथवा उनकी प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।
- ग्राम सभा अपने इस अधिकार का निष्पादन, एक वन अधिकार समिति को गठित करके उसके द्वारा करता है। इस समिति में न्यूनतम 10 और अधिकतम 15 सदस्य होंगे।
  1. उन में कम से कम एक तिहाई महिला होना अनिवार्य है।
  2. उस ग्राम सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तो कम से कम दो तिहाई अनुसूचित जनजाति के सदस्य होना अनिवार्य है।
- सदस्यों का चयन करते समय ग्राम सभा उन लोगों को उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगी जो लोग इस कानून से लाभान्वित होंगे।
- समिति के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और सचिव को चुनेंगे।
- समिति के सदस्यों की सूची ,ग्राम सभा की कार्यवाही की छाया प्रति के साथ अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
- यदि समिति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती हैं तो ग्राम सभा समिति का पुनर्गठन कर सकती है या दूसरी समिति का चयन कर सकती है।
- यदि ग्राम वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं तो समिति के अन्य सदस्य अपने बीच में से किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष अथवा सचिव नियुक्त कर सकते हैं।
- उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में उसकी लिखित सूचना अपने बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि के साथ अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए प्रक्रिया

दस्तावेजों को तैयार करना

1. सामुदायिक वन अधिकारों के लिए प्रपत्र ''ख'' और ''ग'' भरना और जरूरी दस्तावेज जुटाना संबन्धित ग्राम सभाओं के वन अधिकार समिति की जिम्मेदारी है। {नियम 11 (4)}
2. वन अधिकार कानून के अंतर्गत ग्राम वन अधिकार समिति को किसी दस्तावेज और नक्शा की जरूरत है तो उसे उपलब्ध कराना अनुमंडल स्तरीय समिति की जिम्मेदारी है। {नियम 6.(ख) और 12 (4)}
3. वन अधिकार समिति सामुदायिक वन अधिकारों को निहित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के बारे में और जरूरी दस्तावेज, नक्शा और दावा प्रपत्र उपलब्ध कराने के बारे में अनुमंडल पदाधिकारी के नाम पर एक सूचना लिखित रूप में भेजेंगे और उसकी पावती लेकर दावा अभिलेख में संलग्न करेंगें। {नियम 11. 1.(ख), 11 .2 (II)}
4. वन अधिकार समिति दोनों दावा प्रपत्रों की दो–दो प्रतियाँ भरेंगी। एक अनुमंडल कार्यालय में जमा करने के लिए और दूसरा पावती के रूप में गाँव में रखने के लिए।
5. आम तौर पर प्रत्येक ग्राम सभा गाँव की सीमा के अंदर के पूरे वन क्षेत्र का दावा करेंगी, क्योंकि गाँव की सीमा के अंदर का पूरा वन क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। (अधिनियम 6.1)
6. विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि गाँव के भीतर के किसी टोला अथवा टोलों के समूह अलग से दावा करना चाहते हैं और कितना वन क्षेत्र में दावा करना है इसके बारे में सभी टोलों के बीच में सहमति है तो कम क्षेत्र के लिए भी दावा किया जा सकता है। दावा प्रपत्र ''ग'' भरते समय वन अधिकार समिति इस पर विशेष ध्यान देंगें क्योंकि एक ही जंगल में दो अलग अलग ग्राम सभाओं का प्रबन्धन संभव नहीं है।
7. सामुदायिक वन अधिकारों के लिए गाँव के प्रत्येक परिवार दावेदार हैं। प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम दावेदार के रूप में लिखने और हस्ताक्षर करने के लिए दावा प्रपत्रों में स्थान नहीं है। इसीलिए दावेदारों के नाम और हस्ताक्षर एक रजिस्टर में दर्ज करायें और उसकी छाया प्रति दावा प्रपत्रों के साथ अभिलेख में संलग्न करें। (नमूना संलग्न 2.3 में देखें)

साक्ष्य

दावों के साक्ष्य के रूप में नियम 13 के अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्यों को संलग्न किया जा सकता है।

1. दावेदारों से भिन्न बुजुर्गों का कथन लिखित रूप में लेना है। सामुदायिक अधिकार के लिए गाँव के सभी बुजुर्ग दावेदार हैं। इसीलिए पड़ोसी गाँव के बुजुर्गों का बयान एक शपथ–पत्र के रूप में लेकर अभिलेख में संलग्न करना है।(नियम 13. 1झ)
2. सरकार द्वारा गठित किसी आयोग अथवा समिति की रिपोर्ट। (नियम 13 1क)

3. स्थानीय समुदाय द्वारा वन क्षेत्र में बनायी गयी किसी संरचना – जैसे कि सरना मंदिर, शमशान घाट , कब्रिस्तान, देव स्थान, खेल मैदान इत्यादि – में से किसी दो का फोटो संलग्न करें। (नियम 13. 2ग)

4. किसी तरह की ऐसी संरचना नहीं है तो दो ही साक्ष्य को संलग्न करें।(नियम 13. 3)

दावित वन क्षेत्र का नक्शा

1. यदि अनुमंडल स्तरीय समिति {नियम 6.(ख) और 12 (4)} के अंतर्गत गाँव के वन क्षेत्र का नक्शा उपलब्ध कराया है तो उसे संलग्न करें।

2. यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाइन नक्शा को डाउनलोड करके उसमें जितना वन विभाग का प्लॉट है उन्हें एक ट्रेस–पेपर में उतार कर संलग्न करें। संभव नहीं है तो उसी नक्शा में वन विभाग के प्लॉटों को किसी रंग से चिन्हित कर संलग्न करें।

3. जिला स्तरीय समिति जो वन अधिकार पत्र निर्गत करेगी उस के साथ नक्शा को भी स्कैन करके उपलब्ध कराना है। इसीलिए नक्शा A4-Size पेपर में संलग्न करने पर सहूलियत होगी।

4. यदि सारंडा और बेतला आरक्षित वन क्षेत्र के किस खण्ड (Compartment) को किस ग्राम सभा अपने सामुदयिक अधिकार के लिए शामिल करते हैं तो उसका भी नक्शा संलग्न करना होगा।

5. जिन प्लॉटों में खेल मैदान, शमशान घाट इत्यादि अवस्थित है उनका जिक्र प्लॉट नं0 के साथ नक्शा में दर्शायें।

भौतिक सत्यापन और सीमांकन

1. सभी दस्तावेज तैयार होने पर दावों के भौतिक सत्यापन के लिए वन और राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारियों को लिखित सूचना देना और उनसे पावती लेकर अभिलेख में संलग्न करना है। {नियम 12 (1)}

2. गाँव की सीमा में पड़ने वाले सभी गाँव के लोगों को दावित वन क्षेत्र के सीमांकन के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों के द्वारा और सामान्य क्षेत्रों में वार्ड सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में सूचना देना है। क्योंकि शायद वे गाँव की सीमा के अंदर के जंगल का उपयोग परंपरा से करते आ रहे होंगे और शायद गाँव के जंगल की सीमा पड़ोसी गाँव के जंगल की भी सीमा है।

3. गाँव और पड़ोसी गाँवों के महिला स्वयं सहायता समूहों को भी विशेष रूप से आमंत्रित करना उचित होगा। क्योंकि जंगल से संबसे अधिक लगाव महिलाओं का है और वन की संरक्षण और प्रबंधन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

4. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्यों और महिला स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्षों को लिखित सूचना दें और उसकी पावती लेकर उसे भी दवा अभिलेख में संलग्न करें।

5. एक ही दिन दावों के भौतिक सत्यापन और सीमांकन करने से सहूलियत होगी।

6. यदि वन और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं तो पूरे दावा अभिलेखों को उनके अवलोकन के लिए उपलब्ध करायें।

7. भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन और नक्शा पर वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव और वन और राजस्व विभाग के अधिकारी अपना प्रतिवेदन यदि कोई हो तो लिख कर अपने पदनाम और तारीख के साथ हस्ताक्षर करेंगे। {नियम 12 क (1)}

8. वन और राजस्व विभाग के अधिकारी अथवा उनमें से किसी एक अधिकारी अनुपस्थित रहने पर भी वन अधिकार समिति भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। {नियम 12(1) एवं 12 क (2)}

9. वन क्षेत्र के सीमाओं के बारे में ज्ञान रखने वाले गाँव के और पड़ोसी गाँव के बुजुर्गों के साथ वन अधिकार समिति वन क्षेत्र की सीमाओं का अवलोकन करेगी और सीमांकन प्रतिवेदन तैयार करके उस पर हस्ताक्षर करेगी। {नियम12(1च)}

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012
नियम 12 क – अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया:

(1) वनाधिकार समिति से सूचना की प्राप्ति पर वन और राजस्व विभागों के पदधारी स्थल पर दावों के सत्यापन और साक्ष्यों के सत्यापन के दौरान उपस्थित रहेंगे और अपने पदनाम, तारीख और टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, के साथ कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) यदि इन विभागों द्वारा पश्चातवर्ती किसी तारीख को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावों पर इस कारण आक्षेप किये जाते हैं कि क्षेत्र सत्यापन के दौरान उनके प्रतिनिधि अनुपस्थित रहते हैं, तो पुन: सत्यापन के लिए दावे को उस समिति द्वारा जहाँ आक्षेप किये गए हैं, ग्राम सभा को भेज दिया जाएगा. यदि उक्त प्रतिनिधि फिर से सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो क्षेत्र सत्यापन पर ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा।

ग्राम सभा

1 भौतिक सत्यापन और सीमांकन के बाद सामुदायिक वन अधिकारों के बारे में प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा की एक विशेष बैठक बुलाई जायेगीं। { नियम 4 (1ग) और 11 (5)}

2. यदि संभव हो तो दावों के भौतिक सत्यापन और सीमांकन के दिन ही ग्राम सभा का आयोजन करने से ग्राम सभा के सदस्यों की समय की बचत होगी।

3. ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्यों में से आधा सदस्य और उस में कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।{ नियम 4 (2)}

4. वन अधिकार समिति सामुदायिक वन अधिकारों से संबन्धित सभी दस्तावेजों को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेंगी।

5. ग्राम सभा उन सभी दस्तावेजों पर विचार करके उचित प्रस्ताव पारित करेंगे।

6. इसी बैठक में ग्राम सभा वन अधिकार अधिनियम की धारा 5 के प्रायोजनों के लिए नियम की धारा 4.1 (ङ) के अंतर्गत जंगल के संरक्षण, संवर्धन और प्रबन्धन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों के बीच में से एक सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) का गठन करेंगे।

7. सभी अभिलेखों को अनुमंडल स्तरीय समिति के पास जमा करेंगे और पावती लेंगे।{ नियम 11(5)}

8. अभिलेख जमा करने के पहले अनुमंडल पादाधिकारी के नाम से दिए गए पत्र के (Covering letter) में दी गयी संलग्न–सूची का मिलान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी दस्तावेज संलग्न किया गया है।

9. सामुदायिक वन अधिकार दावा अभिलेख अनुमंडल में जमा करने के पहले वन अधिकार समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी दस्तावेजों की एक प्रति गाँव में सुरक्षित रखी गयी है। जो पावती अनुमंडल कार्यालय से मिलता है उसे भी उसी अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। सामुदायिक वन अधिकार दावा के बारे में अनुमंडल और जिला स्तर की समिति से बाद में किसी तरह का पत्राचार होता है तो उसकी एक प्रति भी इसी अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।

10. बाद में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति बैठक करके गाँव के वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबन्धन के लिए जरूरी मान्यताओं, नियमों का प्रस्ताव तैयार करेगी और ग्राम सभा के पास रखेगी। इसके लिए कुछ सुझाव आगे दिये गये हैं। ये सुझाव बाध्यकारी नहीं है। प्रत्येक ग्राम सभा अपने जरूरत के अनुसार और अपने वन संसाधनों की प्रकृति और क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी मान्यतायें तय करेगी।

विवादों का निपटारा

दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच सामुदायिक अधिकारों के बारे में अथवा सामुदायिक वन संसाधनों के बारे में कोई विवाद की स्थिति में किसी ग्राम सभा द्वारा किये गये आवेदन पर या अनुमंडल स्तर के समिति द्वारा स्वःप्रेरणा से संबन्धित ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और विवाद निपटाने की कोशिश की जाएगी। 30 दिनों के भीतर विवाद पर संतोषजनक कोई समाधान नहीं होता है तो अनुमंडल स्तरीय समिति विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी। (नियम 14.7)

व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के लिए

अधिकार

इस कानून में जो लोग वन भूमि पर 13.12.2005 के पहले से स्वयं खेती करके अपने जीविकोपार्जन करते आ रहे हैं उन्हें उस वन भूमि का अधिकार–पत्र देने का प्रावधान है। वन भूमि का अधिकार–पत्र अधिकतम 4 हेक्टेयर (10 एकड़) तक ही दिया जायेगा। (अधिनियम 3.1 (क), 4.3 और 4.6)

- राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले गैर मजरूआ जमीन के बारे में हाल के सर्वे की खतियान में जंगल झाड़ी, छोटे झाड़ का जंगल दर्ज है, तो वैसी जमीन भी इस कानून के दयरे में आयेगी। क्योंकि 12.12.1996 के सर्वोच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के अनुसार जो भूमि अभिलेखों में जंगल अथवा जंगल झाड़ी दर्ज है, सभी भूमि जंगल माना जायेगा। वन अधिकार कानून की धारा 2.घ में इस कानून के प्रायोजनों के लिए वन भूमि की जो परिभाषा दी गई है उस में ''समझे गये वन'' (Deemed Forest) भी सम्मिलित है।
- कोई भी व्यक्ति जो 13.12.2005 के पहले से उक्त जमीन पर स्वयं खेती करते आये हैं तो वे भी अधिकार पत्र के लिए इस कानून के अंतर्गत दावा कर सकते हैं।
- इसके अलावा यदि सरकार के किसी भी विभाग से ग्रामीणों को वन भूमि का अधिकार–पत्र मिला है अथवा रसीद काटा जा रहा है और अब वन विभाग दावा करते हैं कि वह जमीन वन भूमि है तो उस जमीन पर भी ग्रामीणों को अधिकार देने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत जो अधिकार मिलता है उसमें 10 एकड़ तक की सीमा नहीं है। (अधिनियम 3.1 छ और 4.6)
- दावेदार शादी–शुदा है तो अधिकार–पत्र पति–पत्नी दोनों के नाम पर बनेगा। यदि दावेदार अविवाहित है अथवा परिवार को अकेले संभालते हैं तो उसी के नाम पर अधिकार–पत्र मिलेगा। यह अधिकार वंशागत होगा लेकिन हस्तांतरणीय नहीं होगा। अधिकार–पत्र धारक के यदि कोई वंशज नहीं है तो उनके निकटतम रिश्तेदार का उस भूमि पर अधिकार होगा। (अधिनियम 4.4)
- वन अधिकार–पत्र मिलने के बाद भी उक्त जमीन वन भूमि ही रहेगा और राजस्व विभाग द्वारा उस जमीन का रसीद नहीं काटा जायेगा।
- सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के लिए ग्राम सभा दावा करते हैं तो वे व्यक्तिगत वन अधिकार–पत्र में दिये गए वन क्षेत्र को भी शामिल करेंगें।

पात्रता

वन भूमि के अधिकार–पत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि पर 13.12. 2005 से पहले का कब्जा होना अनिवार्य है। अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन क्षेत्र में 13.12.2005 से पहले 3 पीढ़ी से निवास करना अनिवार्य है। तीन पीढ़ी का मतलब है 75 वर्ष। अधिनियम में

''वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति'' एवं ''अन्य परंपरागत वन निवासी'' की परिभाषा में (अधिनियम धारा 2 ग और ण) ''प्राथमिक रूप से वन में निवास करने वाले'' शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आदिवासी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 9 जून 2008 पत्रांक 17014/02/2007-PC & V स्पष्ट किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि दावेदार को वन भूमि पर निवास होना अनिवार्य है। यदि वे जीविकोपार्जन के लिए वन अथवा वन भूमि पर निर्भर है और 13.12 2005 के पहले से स्वयं खेती करते आ रहे हैं तो वे वन अधिकार के लिए पात्र होंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि वन अथवा वन भूमि पर पूर्णतया निर्भर होना जरूरी नहीं है। भूमि अथवा अन्य जीने के साधनों के साथ जीविकोपार्जन के लिए वन अथवा वन भूमि पर भी निर्भर है तो वे भी वन अधिकारों के लिए पात्र होंगे।

दावेदार

- वन अधिकार समिति अपने गाँव की सीमा के अंदर 13.12.2005 के पहले वन भूमि पर स्वयं खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वालों की एक सूची तैयार करेगी ताकि कितने दावा प्रपत्र की जरूरत पड़ेगी उसका अन्दाजा लगाया जा सके। जितना दावा पत्र जरूरी है उतना को वन अधिकार समिति अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त करेगी और दावेदारों को निःशुल्क उपलब्ध करायेगी।
- व्यक्तिगत दावा प्रपत्र 'क', 3 प्रति में होगी – प्रथम प्रति दावेदार के लिए, द्वितीय प्रति वन अधिकार समिति के लिए और तृतीय प्रति अनुमण्डल स्तरीय समिति के लिए।
- वन भूमि पर जिन लोगों का दिसंबर 13, 2005 से पहले कब्जा है और स्वयं खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं उन्हें प्रपत्र ''क'' भर के उस जमीन के अधिकार–पत्र के लिए दावा करना होगा।

प्रपत्र "क"

1. प्रपत्र के दूसरे पन्ने के आरंभ में क्रम संख्या 10 में दावेदार के परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु दर्शाना है। सदस्य 3 से अधिक हैं तो वहां संलग्न 2 लिख कर परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु अलग से एक कागज में लिखकर दावेदार हस्ताक्षर करें और उसे संलग्न करें।

    - भूमि पर दावे का स्वरूप–:

      1.क – यदि दावित जमीन पर आप घर /मकान /झोपड़ी बना कर रह रहे हैं तो उसका खाता न.,प्लॉट न. और अधिक से अधिक 00.20 डिसमिल लिखें। यदि दावित जमीन पर घर मकान नहीं है तो – नहीं है – लिखें।

      1.ख – बाकी सभी दावित जमीन का खाता न., प्लॉट न. और रकबा 1. ख के सामने लिखें। एक से अधिक प्लॉट है तो प्रत्येक प्लॉट और रकबा अलग क्रम में लिखें और कुल जमीन का रकबा जोड़ कर नीचे लिखें। रकबा को लोग अपने अंदाज से लिखें। वास्तविक रकबा वन अधिकार समिति द्वारा नापी करते समय निकाला जायेगा।

2. जिन लोगों के पास जमीन का पर्चा /खतियान/ हाल के रसीद है लेकिन वन विभाग उस जमीन को अपने होने का दावा करते हैं तो उस जमीन का खाता, प्लॉट, रकबा क्रम संख्या 3 के सामने लिखें।

3. बाकी सभी सवालों के लिए – परिस्थिति के अनुसार "हाँ" या "नहीं है" – लिखें ।

4. समर्थन में साक्ष्य के जगह पर संलग्न लिखें और अन्त में दावेदारों के हस्ताक्षर के स्थान के नीचे बायें तरफ निम्न प्रकार लिखें–

संलग्न – 1. जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति (अनुसूचित जनजाति के लिए)

1930 या उसके पहले के खतियान की छाया प्रति और खतियानी रैयत से लेकर दावेदार तक की वंशावली जो ग्राम प्रधान/वन अधिकार समिति के अध्यक्ष/सचिव और हल्का कर्मचारी द्वारा अभिप्रमाणित हो (अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए)

2. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु।

3. समर्थन में साक्ष्य : (क) नियम 13 (ग) के अंतर्गत दावित भूमि पर सुधारों का शपथ पत्र।

(ख) नियम 13 (झ) के अंतर्गत बुजुर्गों के शपथ पत्र।

(ग) नियम 13 (ख) के अंतर्गत –मतदाता पहचान पत्र,राशन कार्ड की छाया प्रति

(घ) नियम 13 (घ) के अंतर्गत – वन विभाग द्वारा 13.12.2005 के पहले दायर मुकदमा के एफ. आई. आर. की छाया प्रति।

समर्थन में साक्ष्य

प्रत्येक दावेदार को अपने दावा प्रपत्र के साथ एक से अधिक साक्ष्य भी देना होगा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनों पर अधिकार की मानयता) नियम 2008 के धारा 13 में भिन्न प्रकार के साक्ष्यों का उल्लेख है। उन में से उपरोक्त साक्ष्यों को आप चुन सकते हैं।

- इन के साथ अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने जाति प्रमाण–पत्र के प्रति को संलग्न करेंगे।
- अन्य परंपरागत वन निवासी अपना स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र को संलग्न करेंगें। उसके साथ वे 1930 के अथवा उसके पहले के सर्वे खतियान जो अपने पूर्वज के नाम पर है कि छाया प्रति और नियम 13 (ज) के अंतर्गत खतियानी रैयत से लेकर दावेदार तक की वंशावली बनाकर ग्राम प्रधान, गाँव के कुछ बुजुर्ग और वन अधिकार समिति के अध्यक्ष सचिव और हल्का कर्मचारी से हस्ताक्षर करवाकर संलग्न करेंगे।
- यदि अपने वंशजों का खतियान उपलब्ध नहीं है और दावेदार के जाति समाज के लोग उस गाँव में 3 पीढ़ी से रहते आये हैं तो उनका खतियान भी संलग्न कर सकते हैं।
- यदि 75 साल में से कुछ समय दावेदार अथवा उसका परिवार झारखण्ड के किसी दूसरे गाँव में रहते आया है और बाद में अमुक गाँव में आकर बसा है और 13.12 2005 के पहले से वन भूमि पर खेती करते आया है तो

दोनों गाँव में निवास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण के रूप में दोनों गाँवों के बुजुर्गों के कथन लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

- ऊपर के सभी दस्तावेज प्रपत्र ''क'' के तीन प्रतियों के साथ संलग्न करना है। जिन दस्तावेजों का मूल प्रति ग्रामीण संलग्न कर रहे हैं उसे दावा प्रपत्र की तृतीय प्रति के साथ संलग्न करें। बाकी दोनों के साथ छाया प्रति संलग्न करें।
- दावेदार तीनों प्रपत्रों को भर कर जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करके ग्राम वन अधिकार समिति के अध्यक्ष,सचिव के पास 90 दिनों के अन्दर जमा करेंगे। किसी दस्तावेज की कमी के कारण दावा प्रपत्र जमा करने में विलंब न करें। जब तक दावा प्रपत्र अध्यक्ष,सचिव के पास जमा नहीं करते हैं, तब तक दावेदार नहीं होते हैं। किसी जरूरी दस्तावेज को स्थल निरीक्षण / सत्यापन के समय तक जमा कर सकते हैं।
- यदि कोई दावेदार अमुक गाँव में निवास करते हैं लेकिन 13.12.2005 के पहले से पड़ोस के गाँव के सीमा के अंदर के वन भूमि पर स्वयं खेती करते आये हैं तो दावा प्रपत्र में अपना पता अपना गाँव का देंगे लेकिन खाता, प्लॉट, रकबा उस गाँव का देंगे जहाँ उनका कब्जा है। दावा अभिलेखों को उस गाँव के वन अधिकार समिति के पास जमा करेंगे जहाँ उसका वन भूमि पर कब्जा है।

समर्थन में साक्ष्य

- दावेदार दावा प्रपत्र अध्यक्ष/सचिव के पास जमा करते समय अध्यक्ष/सचिव, प्रथम प्रति जो दावेदार के नाम पर है उस पर – दो प्रति पाया – लिख कर अपने हस्ताक्षर करेंगे और प्राप्ति की तारीख अंकित करेंगे और दावेदार को पावती के रूप में वापस करेंगे।
- दावा प्राप्ति पंजी में कॉलम 1 से 5 तक मांगी गयी जानकारियाँ भरेंगे। जैसे जैसे आगे की गतिविधियाँ संपन्न होती है उसे दावा प्राप्ति पंजी में दर्ज करें और अंत में समिति के अध्यक्ष एवं सचिव अपना हस्ताक्षर करें ।
- वन अधिकार समिति के अभिलेख के पहले पृष्ठ में भी मांगी गयी जानकारियाँ दावेदार के दावा प्रपत्र के अनुसार लिपिबद्ध करेंगे। प्रत्येक दावेदार के दावा प्रपत्र की तीसरी प्रति जो अनुमंडल स्तरीय समिति के नाम पर है, के साथ ''अभिलेख'' का दोनों पन्ना संलग्न करना अनिवार्य है।
- प्रायः सभी दावा जमा होने के बाद वन अधिकार समिति दावित वन भूमि का नक्शा बनवाने के लिए अमीन की व्यवस्था करेगी। जी0पी0एस0 के द्वारा भी नापी कर सकती हैं। वन अधिकार समिति दावेदार और अन्य लोगों की उपस्थिति में प्रत्येक दावेदार के वास्तविक कब्जा का रकबा निकालेगी और उस का नक्शा बना कर वन अधिकार समिति प्रत्येक दावेदार के अभिलेख में संलग्न करेगी। दावेदार द्वारा खुद किसी अमीन से बनवाया गया नक्शा मान्य नहीं होगा। इस कानून में नक्शा बनवाने का अधिकार ग्राम सभा को और उसकी समिति को है।
- वन अधिकार समिति के अध्यक्ष/सचिव प्रत्येक दावेदार का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को भरेंगे और कुल रकबा के स्थान पर नक्शा में जो रकबा अंकित है उसे भरेंगे। प्रत्येक दावेदार के दावा प्रपत्र तीन जो अनुमंडल स्तरीय समिति के नाम पर है, के साथ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न करेंगे।

- नक्शा तैयार होने के बाद अध्यक्ष/सचिव अंचल अधिकारी और वन क्षेत्र पदाधिकारी से सलाह लेकर स्थल निरीक्षण/सत्यापन की तारीख तय करेंगे और अंचल अधिकारी और वन क्षेत्र पदाधिकारी को लिखित सूचना देंगे और दोनों से पावती लेंगे। उस पावती की छाया प्रति बनवा कर प्रत्येक दावा अभिलेख में संलग्न करेंगे।
- स्थल निरीक्षण की तारीख को दावा प्राप्ति पंजी के कॉलम 6 में अंकित करेंगे।
- अभिलेख का पहला पन्ना के अंतिम कण्डिका में भी स्थल निरीक्षण की तारीख भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे।
- स्थल निरीक्षण के दिन दावेदार, वन क्षेत्र पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि और अंचल पदाधिकारी अथवा उन के प्रतिनिधि के उपस्थिति में वन अधिकार समिति, प्रत्येक दावेदार के दावित जमीन का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि
  1. दावित जमीन पर दावेदार 13.12.2005 के पहले से स्वयं खेती करते हैं।
  2. जमीन वन विभाग/राजस्व विभाग का है।
  3. अमीन द्वारा तैयार किया गया नक्शा और कुल रकबा सही है ।
  4. समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं वे सही है।
- जाँच में सब कुछ सही पाया गया तो स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव हस्ताक्षर करेंगी। अंचल के प्रतिनिधि तथा वन विभाग के प्रतिनिधि अपना प्रतिवेदन यदि कोई हो तो, अपना पदनाम तारीख के साथ लिखकर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करेंगे। दोनों विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहने पर भी वन अधिकार समिति भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
- दोनों विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहने पर भी वन अधिकार समिति भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
- भौतिक सत्यापन के बाद वन अधिकार समिति एक बैठक करेंगे और प्रत्येक दावेदार के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और प्रत्येक दावा अभिलेख में संलग्न करेंगे।
- स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन और अपना प्रतिवेदन के आधार पर वन अधिकार समिति के अध्यक्ष /सचिव प्रत्येक दावेदार के अभिलेख के दुसरे पन्ना को भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे।

ग्राम सभा

- सभी दस्तावेज तैयार होने के बाद वन अधिकार समिति ग्राम सभा की बैठक बुलाने की व्यवस्था करेंगे।
- ग्राम सभा की बैठक में समिति सभी दावा अभिलेखों को ग्राम सभा में रखेंगे। ग्राम सभा दावेदारों के दावे पर समिति की अनुशंसा और वन और राजस्व विभाग के प्रतिवेदन यदि कोई हो पर विचार करेंगे और उचित प्रस्ताव पारित करेंगे और ग्राम सभा की कार्यवाही में उन प्रस्तावों को लिपिबद्ध करेंगें। कम से कम 50 प्रतिशत ग्राम सभा के सदस्यगण उस पर हस्ताक्षर करेंगे। उस में कम से कम 50 प्रतिशत दावेदारों का हस्ताक्षर भी अनिवार्य है। उसके बाद ग्राम प्रधान / सभापति उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

- तद्पश्चात अभिलेख के आखरी कण्डिका को भरेंगें और उसमें ग्राम सभा के ग्राम प्रधान / सभापति हस्ताक्षर करेंगे।
- ग्राम सभा के कार्यवाही की फोटो कोपी बनाकर प्रत्येक दावेदार के अभिलेख की तीसरी प्रति के साथ संलग्न करेंगे।
- ग्राम सभा के सचिव / अध्यक्ष अनुमण्डल स्तरीय समिति के अध्यक्ष – अनुमंण्डल पदाधिकारी के पास सभी संलग्न दस्तावेज जमा करके पावती लेंगे।
- यदि दस्तावेजों में त्रुटि निराकारण के लिए अनुमंडल से दावा अभिलेख वापस आता है तो त्रुटि निराकारण करके फिर अनुमंडल में जमा करेंगे।
- पुनः सत्यापन के लिए अथवा भौतिक सत्यापन के समय वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण दावा अभिलेख वापस आता है तो वन अधिकार समिति पुनः दावेदारों और वन और राजस्व विभाग को सूचना देकर भौतिक सत्यापन करेगी।
- दूसरे सत्यापन के लिए प्रत्येक दावेदार के अभिलेख में एक नया भौतिक सत्यापन की प्रारूप संलग्न करेंगे और उसमें हस्ताक्षर करेंगे।
- यदि ग्राम सभा की अनुशंसा के खिलाफ वन और राजस्व विभाग के अधिकारी कुछ प्रतिवेदन लिखते हैं तो ग्राम सभा उन प्रतिवेदनों पर विचार करके उचित प्रस्ताव पारित करेगी और अनुमंडल में जमा करेगी।
- यदि दूसरी बार भी दोनों अधिकारी अनुपस्थित हैं अथवा दोनों उपस्थित हो कर प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किये हैं तो वन अधिकार समिति उन प्रतिवेदनों को भी संलग्न करके फिर अनुमंडल स्तरीय समिति में जमा करेगी।

अपिल

- ग्राम सभा के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति/समुदाय/सरकारी विभाग, निर्णय के 60 दिन की अवधि के भीतर अनुमंडल स्तर की वन अधिकार समिति के पास अपील कर सकते हैं।
- अनुमंडल स्तर की समिति अपील पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगी और अपीलकर्ता और संबन्धित ग्राम सभा को उसकी लिखित सूचना देगी और सुनवाई के पंद्रह दिन पूर्व ग्राम में किसी सुविधा जनक सार्वजनिक स्थान पर सूचना लगा कर भी सूचित करेगी।
- अनुमंडल स्तरीय समिति सुनवाई के बाद अपील को मंजूर या नामंजूर करेगी अथवा पुनर्विचार के लिए ग्राम सभा के पास लौटा देगी।
- अपील ग्राम सभा के पास वापस आने पर 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा अपनी बैठक करके अपील पर विचार करेगी और समुचित संकल्प पारित करके अनुमंडल स्तर के समिति को भेजेगी।
- अनुमंडल स्तरीय समिति ग्राम सभा के संकल्प पर विचार करेगी और अपील को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए समुचित आदेश पारित करेगी।

- सामुदायिक दावा के बारे में अनुमंडल स्तरीय समिति के निर्णय की सूचना वन अधिकार समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।
- अनुमंडल स्तरीय समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति/समुदाय/सरकारी विभाग, उस निर्णय के बारे में सूचना मिलने के 60 दिन के भीतर जिला स्तर के वन अधिकार समिति के पास अपील कर सकते हैं।
- जिला स्तर की समिति अपील पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगी और अपीलकर्ता और अनुमंडल स्तर की समिति को उसकी लिखित सूचना देगी और सुनवाई के पंद्रह दिन पूर्व संबन्धित ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर सूचना लगा कर भी सूचित करेगी।
- जिला स्तर की समिति सुनवाई के बाद अपील को मंजूर या नामंजूर करेगी अथवा पुनर्विचार के लिए अनुमंडल स्तर की समिति के पास लौटा देगी।
- अपील अनुमंडल स्तर की समिति के पास वापस आने पर अनुमंडल स्तरीय समिति अपीलकर्ता और ग्राम सभा को सुनेंगी और अपील पर विचार करेगी और समुचित निर्णय पारित करके जिला स्तर के समिति को भेजेगी।
- जिला स्तरीय समिति अनुमंडल स्तरीय समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी और अपील को स्वीकार करते हुए या निरस्त करते हुए आदेश पारित करेगी ।
- जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा। उस पर कोई अपील नहीं किया जा सकता है।
- लेकिन यदि अनुमंडल या जिला स्तर की समितियाँ अधिनियम और नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी दावे को निरस्त या अनुशंसा किया है या दावित वन क्षेत्र में कटौती किया है तो राज्य स्तरीय निगरानी समिति के पास शिकायत 60 दिनों के अंदर किया जा सकता है और शिकायत पर विचार करके दावों पर पुनर्विचार करने के लिए जिला स्तरीय समिति को निर्देश दिया जा सकता है।

वन अधिकार दावों के लिए उपयुक्त कुछ कार्यवाही का नमूना

(नीचे दिए गये सभी प्रारूप और नमूना बाध्यकारी नहीं है। यह वन अधिकार समिति और दावेदारों को दावा पत्र भरने और पूरी प्रक्रिया करने के लिए मदद के लिए है। समय और परिस्थिति के अनुसार उनमें फेर बदल हो सकता है।)

वन अधिकार समिति के गठन के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही

1.1 वन अधिकार समिति के गठन के लिए राजस्व ग्राम की ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना ।

1.2 वन अधिकार समिति गठन के लिए टोला ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना।

सामुदायिक वन अधिकार दावा के लिए

2.1 सामुदायिक वन अधिकार दावा की प्रक्रिया आरंभ करने और जरूरी दस्तावेज और नक्शा उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के नाम पत्र का नमूना।

2.2 दावा प्रपत्र ''ख'' भरने के लिए नमूना।

2.3 दावा प्रपत्र ''ग'' भरने के लिए नमूना।

2.4 दावेदारों के नाम और हस्ताक्षर के लिए नमूना।

2.5 नियम 13.1(झ) के अंतर्गत पड़ोसी गाँव के बुजुर्गों के शपथपत्र का नमूना।

2.6 भौतिक सत्यापन के लिए वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए सूचना का नमूना।

2.7 सीमांकन के लिए पड़ोस के ग्राम प्रधानों/वार्ड सदस्यों को सूचना का नमूना।

2.8 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन का नमूना।

2.9 सीमांकन प्रतिवेदन का नमूना।

2.10 सामुदायिक अधिकारों की अनुशंसा के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना।

2.11 दावा अभिलेखों को अनुमंडल कार्यालय में जमा करनने के लिए पत्र का नमूना ।

2.12 वन और राजस्व विभाग को द्वितीय सूचना का नमूना।

2.13 दावा अभिलेखों को पुनः अनुमंडल कार्यालय में जमा करने के लिए पत्र का नमूना।

2.14 सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना।

व्यक्तिगत वन अधिकार दावा के लिए

3.1 दावा पत्र ''क'' भरने का तरीका (अनुसूचित जनजाति दावेदार के लिए)

3.2 दावा पत्र ''क'' भरने का तरीका (अन्य परंपरागत वन निवासी दावेदार के लिए)

3.3 नियम 13.1(ग) के अंतर्गत दावित वन भूमि पर सुधारों की शपथ पत्र का नमूना

3.4 नियम 13.1(झ) के अंतर्गत बुजुर्गों के शपथपत्र का नमूना

3.5 दावा प्राप्ति पंजी की नमूना
3.6 अभिलेख का नमूना
3.7 वन और राजस्व विभाग को भौतिक सत्यापन के लिए सूचना पत्र का नमूना
3.8 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन का नमूना
3.9 वन अधिकार समिति के प्रतिवेदन का नमूना
3.10 दावों की अनुशंसा के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना
3.11 दावा अभिलेखों को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने के लिए पत्र का नमूना
3.12 वन और राजस्व विभाग को भौतिक सत्यापन के लिए द्वितीय सूचना पत्र का नमूना
3.13 दावा अभिलेखों को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में दूसरी बार जमा करने के लिए पत्र का नमूना
3.14 अपील के लिए नमूना

1.1 राजस्व ग्राम में वन अधिकार समिति गठन/पुनर्गठन के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही

आज दिनांक.....को दिन के .....बजे ग्राम.....ग्राम पंचायत.....
.प्रखण्ड..... के ग्राम सभा की बैठक ग्राम प्रधान/मुखिया श्री .....
की अध्यक्षता .....पर/में संपन्न हुआ।

अथवा

ग्राम प्रधान/मुखिया की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों ने श्री.....पिता.....
.को आज की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सर्वसम्मति से चुना ।

बैठक में .....पुरूष और..... महिलाएँ, कुल..... सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में वन अधिकार कानून 2006 के बारे में विचार विमर्श किया गया और वन अधिकार अधिनियम के धारा 2(त) की उपधारा 1 और वन अधिकार नियम 2012 की धारा 3(1) के प्रावधानों के अनुसार वन अधिकार समिति का गठन/पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया, और निम्नलिखित लोग चुने गये।

1	2	3	4	5
क्र.सं.	नाम	पिता/पति	कोटि	मो. न.

(इस समिति में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 सदस्य हो सकते हैं। गाँव में अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तो कुल सदस्यों में कम से कम दो तिहाई अनुसूचित जनजाति और कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होना अनिवार्य है। कॉलम 5 में सदस्य किस कोटि का है – अ.ज.ज., महिला या सामान्य, उसे लिखें।)

चुने हुए सदस्यों ने अपने बीच में से श्री/श्रीमती..... पिता/पति.....
को अध्यक्ष और श्री/श्रीमती..... पिता/पति.....को सचिव के रूप में मनोनित किया।

ग्राम ..... टोला .....के निवासी जो 13.12.2005 के पहले से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं उनका नाम निम्न है।

1.

2.

उन सभी दावेदारों को 90 दिन के अंदर दावा पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज वन अधिकार समिति के अध्यक्ष/सचिव के पास जमा करके पावती लेने के लिए कहा गया।

वन अधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के लिए सभी दस्तावेज जुटायें और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अनुमोदन के लिए अविलंब ग्राम सभा में प्रस्तुत करें।

उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर

1.

2.

अंत में सभापति ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा की।

सभापति का हस्ताक्षर .....

1.2 टोला ग्राम सभा में अधिकार समिति/पुनर्गठन के लिए कार्यवाही

आज दिनांक.....को दिन के .....बजे ग्राम.....टोला.....
ग्राम पंचायत.....प्रखण्ड..... के ग्राम सभा का बैठक.....में संपन्न हुआ।

ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों ने श्री..... पिता.....को आज के बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सर्वसम्मति से चुना।

बैठक में .....पुरूष और..... महिलाएँ, कुल..... सदस्य उपस्थित थे। ग्राम .....
के मतदाता सूची के अनुसार टोला.....में .....पुरूष .....महिला, कुल ..... सदस्य है।

बैठक में वन अधिकार कानून 2006 के बारे में विचार विमर्श किया गया और वन अधिकार अधिनियम के धारा 2(त) की उपधारा 1 और वन अधिकार नियम 2012 के धारा 3(1) के प्रावधानों के अनुसार वन अधिकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया, और निम्नलिखित लोग चुने गये।

1	2	3	4	5
क्र.सं.	नाम	पिता/पति	कोटि	मो. न.

(इस समिति में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 सदस्य हो सकते हैं। गाँव में अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तो कुल सदस्यों में कम से कम दो तिहाई अनुसूचित जनजाति और कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होना अनिवार्य है। कॉलम 5 में सदस्य किस कोटि का है – अ.ज.जा., महिला या सामान्य, उसे लिखें।)

चुने हुए सदस्यों ने अपने बीच में से श्री/श्रीमती..... पिता/पति.....को अध्यक्ष और श्री/श्रीमती..... पिता/पति.....को सचिव के रूप में मनोनीत किया।

ग्राम ..... टोला .....के निवासी जो 13.12.2005 के पहले से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं उनका नाम निम्न है।

1.

2.

उन सभी दावेदारों को 90 दिन के अंदर दावा पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज वन अधिकार समिति के अध्यक्ष/सचिव के पास जमा करके पावती लेने के लिए कहा गया।

वन अधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के लिए सभी दस्तावेज जुटायें और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अनुमोदन के लिए अविलंब ग्राम सभा में प्रस्तुत करें।

उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर

1.

2.

अंत में सभापति ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा की।

सभापति का हस्ताक्षर .....

2.1 वन अधिकार समिति ग्राम ... बसिया .....

ग्राम पंचायत : बसिया, प्रखण्ड : बालुमाथ, जिला : लातेहार

पत्रांक...01 / .21..... दिनांक...10.01.21

प्रेषित :– अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति
.....

विषय – **सामुदायिक वन अधिकारों की प्रक्रिया आरंभ करने के बारे में सूचना।**

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता नियम 2008 – 2012 में संशोधित – की धारा 11.1ख और 12.4)

महाशय,

आपको सादर सूचित करना है कि ग्राम .....बसिया..... पंचायत.....बसिया..... अंचल.....बालुमाथ..... के वन अधिकार समिति वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों के लिए दावा करने की प्रक्रिया आज दिनांक 10.01.21 से आरंभ कर रहे हैं।

अतः आप से आग्रह है कि हमें निम्नलिखित दस्तावेजों और दावा प्रपत्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1 दावा प्रपत्र ''ख'' और ''ग''
2 ग्राम .....बसिया..... ग्राम पंचायत .....बसिया..... अंचल.....बालुमाथ..... में पड़ने वाला वन क्षेत्र के मानचित्र की अभिप्रमाणित प्रति
3 ग्राम.....बसिया.....के खतियान भाग दो / विलेज नोट की छाया प्रति।
4 ग्राम .....बसिया.....के मतदाता सूची की छाया प्रति।

आपके सहयोग की प्रतीक्षा में,

आपके विश्वासी

....
अध्यक्ष सचिव
मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

ग्राम वन अंधिकार समिति

"प्ररूप - ग"

2.2 सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

(अधिनियम की धारा 3(1) और नियम 11(1) और (4क) देखिए)

1. ग्राम / ग्राम सभा : **बसिया**
2. ग्राम पंचायत : **बालुमाथ**
3. तहसील / तालूक : **लातेहर**
4. जिला : **संलग्न 1**
5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम :

संलग्न 1

(प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति / अन्य परंपरागत वन निवासी सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए कुछ जनजातियों / अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम, इस ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3 (1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मानयता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चारागाही समुदाय की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुँच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित,पुनर्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसे शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है।)

6. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या (संख्याएँ) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो :

प्लॉट नं. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15, 24, 33, 40, 41, 85, 95, 115.

गाँव के कुल वन क्षेत्र 247.59 हेक्टेयर है।

7. सीमा से लगते हुए ग्राम

		चारागाह	लघुवन उपज	जवालन
(i)	**गेरेंजा**			
(ii)	**धाधू**	.....	.....	.....
(iii)	**पिण्डारकोम**	.....	.....	.....
(iv)	**जोगियाडी**	.....	.....	.....

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बांटने के संबन्ध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिये) : **संलग्न 3**

संलग्न 1

दावेदारों के
हस्ताक्षर/अंगुठा निशान

2.3 प्रथम प्रति: दावेदार के लिए

निःशुल्क

क्र. सं.

उपबंध – 1 सामुदायिक अधिकार दावा प्रारूप

भारत सरकार जनजातिय कार्य मंत्रालय

प्रारूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
के नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (रों) का नाम — संलग्न 1
   - क. एफडीएसटी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय — हाँ/नहीं
   - ख. ओटीएफडी (अन्य परांपरागत वन निवासी) समुदाय — हाँ/नहीं
2. ग्राम : ——— बसिया
3. ग्राम पंचायत ——— बसिया
4. प्रखंड/आंचल : ——— बालुमाथ
5. जिला : ——— लातेहार

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें बनाने के लिए काष्ट, बालू और पत्थर का अधिकार	1. घर बनाने और कृषि योग्य औजार 2. जलावन के लिए लकड़ी लाने का अधिकार 3. घरेलू उपयोग के लिए विभिन्न किस्म के मिट्टी लाने का अधिकार
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :	केन्दू पत्ता, बांस एवं अन्य गौण वन उत्पादों पर स्वामित्व, उन्हें संग्रह करने उपयोग करने, मूल्यवृद्धि करने और बेचने का अधिकार। (अधिनियम की धारा 3. (1) (ग) देखें)

3. **सामुदायिक अधिकार :**

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो :	बसिया नदी में मछली मारने का अधिकार
(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :	पशुओं को जंगल में चराने और चारा लाने का अधिकार
(ग) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुँच यदि कोई हो, (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)	नहीं है।
4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)	हाँ / नहीं नहीं
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)	
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)	1. खेल मैदान प्लॉट न0..95.. में है। 2. कब्रिस्तान / श्मशानघाअ प्लॉट नं० 115 पर है 3. सरना / पूजा स्थल प्लॉट नं० 85 पर है 4. गरेन्जा जाने का रास्ता
7. समर्थन में साक्ष्य : (नियम 13 देखें)	**संलग्न 3**
8. अन्य कोई सूचना	**संलग्न 1**

दावेदार (रों)

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

2.4 सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार दावा के लिए प्रपत्र ''ग'' और ''ख'' के साथ दावेदारों के नाम और हसताक्षर

संलग्न 1

ग्राम : बसिया, ग्राम पंचायत : बसिया, प्रखण्ड : बालुमाथ, जिला : लातेहार

क्र. सं.	नाम	पिता / पति का नाम	अनुसूचित जनजाति वन निवासी	अन्य परंपरागत वन निवासी	हस्ताक्षर
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(इस तरह की एक तालिका एक रजिस्टर में बनायें और गाँव के प्रत्येक परिवार के मुख्या / मुखियाईन और उनके पिता / पति का नाम लिखें।

अनुसुचित जनजाति सदस्य है तो कॉलम 3 में और अन्य परंपरागत वन निवासी है तो कॉलम 4 में (✓) निशान लगायें)

2.5 अनुसूचित जनजातिय एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 की धारा 13 (झा) के आधार पर सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार और सामुदायिक वन अधिकार के लिए बुजुर्गों का शपथ पत्र।

हम

1.	श्री एतवा उराँव	पिता रामा उराँव	उम्र 63 ग्राम जोगियाडीह
2.	श्रीमती बुधनी देवी	पति बलेश्वर लोहरा	उम्र 65 ग्राम जोगियाडीह
3.	श्री राजदेव उराँव	पिता सीताराम उराँव	उम्र 62 ग्राम गेरेंजा
4.	श्रीमती सवित्री देवी	पति सीताराम यादव	उम्र 68 ग्राम पिण्डारकोम
5.	श्री राजेन्द्र गंझू	पिता नंदकिशोर गंझू	उम्र 70 ग्राम गेरेंजा

आज दिनांक: 25.08.2021 को शपथ लेते हैं कि:-

ग्राम बसिया के सभी निवासी सदियों से गाँव की सीमा के अन्दर के कुल 247.59 हेक्टेयर वन क्षेत्र के और बेतला/सरंडा आरक्षित वन के कम्पार्टमेन्ट .....के कुल .....हेक्टेयर वन क्षेत्र के (यदि आरक्षित वन क्षेत्र पर दावा कर रहे हैं तो उस का कम्पार्टमेन्ट सं0 और क्षेत्रफल हेक्टेयर में यहाँ लिखें)

1. जंगल और वन्यप्राणियों को अपने क्षमता के अनुसार रक्षा करते आये हैं।
2. जहाँ तक संभव है, जंगल को आग से बचाते आये हैं।
3. इस जंगल में मुख्य रूप से .....
   .....वृक्ष पाये जाते हैं।
4. बास, केन्दु पत्ता, कन्द–मूल, जड़ी–बूटी, साग, फल–फूल, महुआ का फल और फूल, मुलहम पत्ता एवं अन्य लघु वन उपजों को संग्रहण और विपणन करते आये हैं।
5. इस जंगल से घर बनाने के लिए और कृषि योग्य औजार बनाने के लिए काष्ठ को लाते आये हैं।
6. इस जंगल से जलावन के लिए लकड़ी लाते आ रहे हैं।
7. इस जंगल से घरेलू उपयोग के लिए पत्थर, बालू और मिट्टी लाते आये हैं।
8. इस जंगल में मवेशियों को चराते और चारा लाते आये हैं।
9. उपरोक्त वन क्षेत्र के ..... बसिया ... नदी/..... टेमराबार....जलाशय से
   (क) गाँव तक पानी लाकर सिंचाई करते आये हैं।
   (ख) मछली मारते आये हैं।
   (ग) मवेशियों के लिए पीने का पानी के रूप में इस्तेमाल करते आये हैं।
10. इस जंगल में अन्य जल श्रोत .....(तालाब/डैम/झरना है)
11. उनका कब्रिस्तान/शमशान घाट उपरोक्त वन क्षेत्र के प्लॉट नं0.....115..... में अवस्थित है।

12. उनका पूजा स्थल/सरना/देवस्थान उपरोक्त वन क्षेत्र के प्लॉट न0....85.....में अवस्थित है।

13. उनका खेल मैदान उपरोक्त वन क्षेत्र के प्लॉट न0.....95..... में अवस्थित है।

14. गाँव से गेरेंजा, धाधू, जोगियाडीह जाने का रास्ता इस जंगल से होकर है।

15. पड़ोस के गाँव गेरेंजा, जोगियाडीह, धाधू..... के लोग इस जंगल से लघुवन उपज संग्रहण करते हैं, जलावन लाते हैं और इस जंगल में मवेशियों को चराते है।

हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

(जो आप के गाँव के लिए लागू नहीं है उसे काट दें और कुछ जोड़ना है तो जोड़ें। सामुदायिक वन अधिकार के लिए यह शपथ पत्र पड़ोसी गाँव के बुजुर्गों से बनवाना है)

2.6 वन अधिकार समिति

ग्राम : बसिया, ग्राम पंचायत : बसिया, प्रखण्ड : बालुमाथ, जिला : लातेहार

पत्रांक : **2 / 21** **दिनांक : 20.08.21**

प्रेषित –

1. वन क्षेत्र पदाधिकारी...बालुमाथ
2. अंचल पदाधिकारी ... बालुमाथ

विषय – सामुदयिक वन अधिकार दावों का भौतिक सत्यापन

संदर्भ – नियम 12 (1) और 12 क (1)

महाशय,

आपको सादर सूचित करना है कि वन अधिकार समिति, बसिया, 2012 में संशोधित, वन अधिकार नियम 2008 की धारा 12 के अंतर्गत दिनांक 05.09.21 को 12 बजे सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के दावों के सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण करने जा रही है। आपकी उपस्थिति उस अवसर पर अनिवार्य है। अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर हमें सहयोग करने और अपना प्रतिवेदन यदि कोई हो, लिखकर पदनाम और तारीख के साथ भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

ग्राम वन अधिकार समिति बसिया

2.7 वन अधिकार समिति

ग्राम : बसिया, ग्राम पंचायत : बसिया, प्रखण्ड : बालुमाथ, जिला : लातेहार

पत्रांक : **3 / 21**

दिनांक : 28.08.21

प्रेषित -

1. ग्राम प्रधान ग्राम गेरेंजा
2. ग्राम प्रधान ग्राम धाधू
3. ग्राम प्रधान ग्राम पिण्डारकोम
4. ग्राम प्रधान ग्राम जोगियाडीह

विषय – सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों के बारे में स्थल निरीक्षण और सीमांकन का आयोजन।

महाशय,

आपको सादर सूचित करना है कि ग्राम बसिया के सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों के बारे में भौतिक सत्यापन और वन क्षेत्र का सीमांकन दिनांक **05.09.21** होने वाला है।

आपके गाँव हमारे गाँव की सीमा में पड़ता है अतः आपसे आग्रह है कि, उपरोक्त सूचना आपके ग्राम सभा के सदस्यों को और महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को देने का कष्ट करें ताकि वे उपस्थित होकर अपने विचार/सुझाव/आपत्ति यदि कोई हो तो प्रस्तुत करके हमें सहयोग कर सकें।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

ग्राम प्रधान मोबाईल न0.....

2.8 वन अधिकार नियम 2012 की धारा 12 और 12 क (1) के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकारों के लिए दावों का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन

आज दिनांक 05.09.21 को वन अधिकार समिति ग्राम बसिया ग्राम पंचायत बसिया अंचल बालुमाथ जिला लातेहार के द्वारा अपने गाँव के सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकारों के दावों के भौतिक सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित लोग उपस्थित थे।

1. वन क्षेत्र पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि
2. अंचल पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि
3. ग्राम वन अधिकार समिति के 10 सदस्य
4. ग्राम बसिया के 40 महिला समेत कुल 100 सदस्य
5. पड़ोसी गाँवों के 20 महिला समेत कुल 75 सदस्य

निरीक्षण के क्रम में पया गया कि :

1. ग्राम बसिया के कुल वन क्षेत्र 247.59 हेक्टेयर है।
2. इस वन क्षेत्र से गाँव वाले अपने जरूरत की वन उपजों को लाते हैं।
3. जलावन के लिए सूखे लकड़ी लाते हैं।
4. इस जंगल से घरेलू उपयोग के लिए पत्थर, बालू और मिट्टी लाते आये हैं।
5. अपने मवेशियों को इस वन क्षेत्र में चराते हैं और यहाँ से चारा लाते हैं।
6. बीड़ी पत्ता, बांस, जड़ी बूटी, कन्द मूल फल फूल इत्यादि लघु वन उपजों को पूरे वन क्षेत्र से संग्रहण करते हैं।
7. बसिया नदी/टेमराबार जलाशय से मछली मारते हैं।
8. इस नदी/जलाशय से सिंचाई के लिए वन भूमि होकर पानी लाते आये हैं।
9. इस नदी/ जलाशय में मवेशियों को पानी पिलाते हैं।
10. इस वन क्षेत्र में अन्य जल स्रोत ....हैं।
11. इस वन क्षेत्र में निम्न वृक्ष अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

    .....

12. इस गाँव का शमशान घाट/कब्रिस्तान इस वन क्षेत्र के प्लॉट न0 115 में अवस्थित है।
13. इस गाँव का सरना/देवस्थान इस वन क्षेत्र के प्लॉट न0 85 में अवस्थित है।
14. इस गाँव का खेल मैदान इस वन क्षेत्र के प्लॉट न0 95 में अवस्थित है।
15. इस गाँव से गेरेंजा, जोगियाडीह, धाधू जाने के लिए रास्ता इस जंगल से हो कर जाता है।
16. इस वन क्षेत्र में पड़ोसी गाँव गेरेंजा, जोगियाडीह, धाधू के लोग मवेशी चराते जलावन लाते हैं और लघु वन उपजों का संग्रहण करते हैं।

.....	.....	.....	.....
अध्यक्ष व0अ0स0	सचिव व0अ0स0	राजस्व अधिकारी	वन विभाग के अधिकारी

2.9 सामुदायिक वन अधिकार नियम (1च) के अंतर्गत ग्राम बसिया के वन क्षेत्र के सीमांकन की कार्यवाही

आज दिनांक 05.09.21 को ग्राम सभा बसिया ग्राम पंचायत बसिया, प्रखण्ड बालुमाथ, जिला लातेहार ने वन अधिकार नियम 2012 की धारा 12 (1च) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम बसिया की परंपरागत सीमा के अंदर के वन क्षेत्रों के सीमांकन की कानूनी प्रक्रिया को विधि सम्मत पूरा किया।

इस अवसर पर

1.	श्री जगेश्वर उराँव	पिता सोहराई उराँव	उम्र 62
2.	श्री जगसहाय उराँव	पिता परमेश्वर उराँव	उम्र 65
3.	श्री सुफल गंझू	पिता रतिया गंझू	उम्र 70
4.	श्री बबुलाल गंझू	पिता एतवा गंझू	उम्र 67
5.	श्री जितेन्द्र उराँव	पिता लाला उराँव	उम्र 70

सभी ग्राम बसिया के निवासी और जो गाँव के वन क्षेत्र के सीमाओं के बारे में भली–भांति वाकिफ हैं उपस्थित थे।

इनके अलावा पड़ोसी गाँव

1.	ग्राम गेरेंजा	के श्री सघनू उराँव	पिता एतवा उराँव	उम्र 67
2.	ग्राम गेरेंजा	के श्री राजू उराँव	पिता नरेश उराँव	उम्र 65
3.	ग्राम पिण्डारकोम	के श्री कैलाश यादव	पिता अखिलेश यादव	उम्र 70
4.	ग्राम जोगियाडीह	के श्री जगदीश गंझू	पिता सोहराई गंझू	उम्र 63
5.	ग्राम धाधु	के श्री सोहन उराँव	पिता रतिया उराँव	उम्र 68

भी उपस्थित थे। इनके अलावा ग्राम बसिया के ग्राम प्रधान, वन अधिकार समिति और ग्राम बसिया और पड़ोसी गाँवों के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे।

सभी लोगों ने मिलकर ग्राम बसिया के वन क्षेत्र के सीमाओं का अवलोकन किया और पड़ोसी गाँव के बुजुर्गों और लोगों को भी ग्राम बसिया के वन क्षेत्र के सीमा के बारे में कोई विवाद नहीं है।

ग्राम बसिया का कुल वन क्षेत्र 247.59 हेक्टेयर है।

ग्राम बसिया के वन क्षेत्र के उत्तर में ग्राम बालुमाथ दक्षिण में ग्राम गेरेंजा
पूरब में ग्राम पिंडारकोम और पश्चिम में ग्राम जोगियाडीह की सीमा है।

हस्ताक्षर

ग्राम बसिया के बुजुर्ग

हस्ताक्षर

पड़ोसी गाँव के बुजुर्ग

वन अधिकार समिति **बसिया** के सदस्यों के हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान / मुखिया / सभापति का हस्ताक्षर

2.10 सामुदायिक वन अधिकार दावों पर अनुशंसा के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना

आज दिनांक **05.09.21** को ग्राम सभा **बसिया** ग्राम पंचायत **बसिया**. प्रखण्ड. **बालुमाथ** के ग्राम सभा का बैठक दिन के **11** बजे ग्राम प्रधान/~~मुखिया~~ श्री/~~श्रीमती~~ बाबुलाल पाहन..... के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ग्राम **बसिया** की मतदाता सूची में कुल ....**800**........सदस्य हैं। उनमें से ....**200**....महिला और .**300**......पुरूष कुल....**500**...सदस्य उपस्थित थे।

अथवा

(आज दिनांक ......**05.09.21**............को ग्राम सभा **बसिया** ग्राम पंचायत **बसिया** प्रखंड **बालुमाथ** के ग्राम सभा की बैठक दिन के **11** बजे **अखड़ा** पर संपन्न हुआ। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में श्री/ श्रीमती .... पिता/पति श्री.................................... को आज के ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए सर्वसम्मिति से चुना गया। ग्राम **बसिया** की मतदाता सूची में कुल ....**800**........सदस्य हैं। उनमें से ....**200**.... महिला और .**300**......पुरूष कुल....**500**...सदस्य उपस्थित थे।)

इस बैठक में गाँव के वन अधिकार समिति द्वारा वन अधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार से संबन्धित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

दावों के भौतिक सत्यापन के लिए वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचना दिये थे। सूचना की पावती संलग्न है।

राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए और अपना स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किया नहीं किया।

अथवा

वन विभाग और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। इसीलिए उनका हस्ताक्षर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं है।

अथवा

वन विभाग और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे लेकिन वे प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नहीं किये।

उन दस्तावेजों के आकलन और विचार विमर्श के बाद ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

1. सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के लिए वन अधिकार समिति द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र एवं अन्य दस्तावेजों और नक्शा को ग्राम सभा स्वीकार करती है और उनकी अनुशंसा करती है।
2. गाँव की पारंपरिक सीमा के अंदर पाने वाला 247.59 हेक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण, संवर्धन और प्रबन्धन करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा।

3. इस वन क्षेत्र में गाँव के लोगों को लघुवन उपजों पर मालिकाना अधिकार और उनका संग्रहण, विपणन और मूल्य–वर्धन का अधिकार होगा।

4. इस वन क्षेत्र से गाँव के लोगों को जलावन लाने, मवेशी चराने और चारा लाने का अधिकार होगा।

5. इस वन क्षेत्र में गाँव के लोगों को निस्तार का अधिकार और इस वन क्षेत्र के जैव विविधता और पारम्परिक ज्ञान को संरक्षण करने का अधिकार होगा।

6. सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र मे ग्राम सभा के कई परिवार व्यक्तिगत वन अधिकार के पात्र हैं परंतु जानकारी एवं प्रशिक्षण के अभाव मे कई परिवार दावा नहीं भर पाए/ग्राम सभा ये निर्णय लेती है कि भविष्य मे सभी पात्र परिवार वन अधिकार हेतु व्यक्तिगत दावा भर सकेंगे।

7. इस वन क्षेत्र में पड़ोसी गाँव गेरेंजा, जोगियाडीह और धाधू को निम्नलिखित अधिकार होगा।

   1. चरागाह 2 जलावन 3. लघु वन उपजों का संग्रहण

8. उन दस्तावेजों को अग्रतर कार्रवाई के लिए अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति के पास भेजा जाय।

9. वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 5 एवं 3 (1) (झ) के कार्यान्वयन के लिए वन अधिकार नियम 2012 की धारा 4(1) (ङ) के अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम सभा के सदस्यों को ग्राम वन प्रबन्धन समिति/वन पालन समिति के सदस्यों के रूप में चुनते हैं।

(इस समिति में कम से कम एक तिहाई महिला एवं दो तिहाई अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को चुनना सुनिश्चित करें तथा गाँव के सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। कुल सदस्य 12 से अधिक भी हो सकता है।)

1..... 2.....

3..... 4.....

5..... 6.....

7.... 8....

9.... 10....

11.... 12....

9. इस समिति का कोई पदाधिकारी नहीं होगा और श्री/श्रीमती..... पिता/पति..... इस समिति के संयोजक/संयोजिका होगा/होगी।

10. इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके इस समिति को 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी भंग कर सकती है और नयी समिति चुन सकती है।

11. यह समिति पूर्ण रूप से ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होगा।

12 गाँव की वन संसाधनों का प्रबन्धन करने के लिए मान्यतायें/नियमों का प्रस्ताव इस समिति द्वारा ग्राम सभा की अगली बैठक में रखा जायेगा।

उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर

1 .....

2 .....

3 .....

अंत में सभापति ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा की।

ग्राम प्रधान/सभापति का हस्ताक्षर

2.12 वन अधिकार समिति

ग्राम : बसिया, ग्राम पंचायत : बसिया, प्रखण्ड : बालुमाथ, जिला : लातेहार

पत्रांक : **4 / 21**

दिनांक : 10.09.21

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह
अध्यक्ष, अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति
लातेहार

विषय – **सामुदायिक वन अधिकारों और वन संसाधनों पर अधिकारों से संबंधित दावों का अभिलेख।**

महाशय,

ग्राम बसिया, ग्राम पंचायत बसिया, प्रखंड बालुमाथ के सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के दावों का भौतिक सत्यापन और सीमांकन दिनांक 05.09.21 को संपन्न हुआ और दिनांक **05.09.21** को संपन्न ग्राम सभा के बैठक में इन दावों के बारे में उचित प्रस्ताव पारित किया गया। इन दावा अभिलेखों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। इसे स्वीकार करने और पावती प्रदान करने का कष्ट करें।

- दावा पत्र "ख" के अंतर्गत दावित वन क्षेत्र का कुल रकबा 247.59 हेक्टेयर
- दावा पत्र "ग" के अंतर्गत दावित वन क्षेत्र का कुल रकबा 247.59 हेक्टेयर

विश्वासभाजन

....

ग्रामप्रधान/सभापति अध्यक्ष सचिव (हस्ताक्षर और मोबाइल नं.)

वन अधिकार समिति

दावा प्रपत्र "ग" और "ख" के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है।

संलग्न 1 – दावेदारों के नाम और हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
संलग्न 2 – दावित वन क्षेत्र का नक्शा (वन अधिकार नियम 2012 धारा 12 (1छ)
संलग्न 3 – समर्थन में साक्ष्य
1. नियम 13 (झ) के अंतर्गत पड़ोसी गाँव के बुजुर्गों के शपथ–पत्र
2. नियम 13 (क) के अंतर्गत एक दस्तावेज।
3. नियम 13 (2 ग) के अंतर्गत सरना/ कब्रिस्तान/ शमशान /देवस्थान/खेल मैदान/..... का फोटो।

संलग्न 4 – अनुमंडल स्तरीय समिति को सामुदायिक वन संसाधनों पर दावा की प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना की पावती। नि. 11–1 ख, नि. 6 ख और 12 (4)
संलग्न 5 – वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण के लिए सूचना की पावती (नि. 12–1)
संलग्न 6– सीमांकन के लिए पड़ोसी गाँवों के ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य को सूचना की पावती। (नि. 11–ख)
संलग्न 7– स्थल निरीक्षण की कार्यवाही। (नि. 12 क–1)
संलग्न 8 – सीमांकन की कार्यवाही। (नि. 12–1 च)
संलग्न 9 – ग्राम सभा की कार्यवाही। (नि. 12–1 छ)

2.12 वन अधिकार समिति

ग्राम : बसिया, अंचल : बालुमाथ, जिला : लातेहार

पत्रांक : **00 / 21**

दिनांक : 28.2.21

प्रेषित – 1. अंचल पदाधिकारी **बालुमाथ**

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी **बालुमाथ**

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी **लातेहार**

विषय – सामुदायिक वन अधिकार दावों के भौतिक सत्यापन के लिए द्वितीय सूचना

संदर्भ – वन अधिकार नियम 12 की उपधारा 2

महाशय,

दिनांक 22. 2. 2021 को संपन्न अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति लातेहार की बैठक में ग्राम..... बसिया.....ग्राम पंचायत..बसिया के सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार दावों पर विचार किया गया था। अभिलेख में संलग्न दावों के भौतिक सत्यापन प्रतिवदेन में वन अधिकार नियम 12 क की उपधारा 1 के अंतर्गत वन और राजस्व विभाग के मन्तव्य और हस्ताक्षर नहीं होने के कारण दावा अभिलेखों को ग्राम सभा को लौटाया गया है।

अतः इस पत्र द्वारा आपको सादर सूचित करना है कि दिनांक 15. 3. 21 दिन .....सोमवार.....के ..11..... बजे दावों की पुनः भौतिक सत्यापन के लिए बैठक निर्धारित किया गया है।

आपसे आग्रह है कि निर्धारित तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर दावों के भौतिक सत्यापन में हमें सहयोग करने और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में आपका मन्तव्य यदि कोई हो, लिख कर, अपने पदनाम और तारीख देकर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

इस द्वितीय सूचना पर भी आपकी अनुपस्थिति होने पर वन अधिकार नियम 12 क की उपधारा 2 के अंतर्गत आगे की कारवाई करने के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति के पास अनुशंसा किया जायेगा।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

ग्राम वन अधिकार समिति बसिया

2.13 वन अधिकार समिति

ग्राम : बसिया, पंचायत : बसिया, अंचल : बालुमाथ, जिला : लातेहार

पत्रांक ...../.....

दिनांक : 20.3.21

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति लातेहार

विषय – सामुदायिक वन अधिकार दावों का दुबारा भौतिक सत्यापन

महाशय,

दिनांक.....22.2.21..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय समिति .....लातेहार..... की बैठक में ग्राम .....बसिया..... के सामुदायिक वन अधिकार दावों को इस कारण ग्राम सभा के पास वापस भेजा गया था कि दावा अभिलेखों में संलग्न भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि का प्रतिवेदन या उनका हस्ताक्षर नहीं है।

वन अधिकार समिति ने पुनः दिनांक .....15.3.21..... की बैठक में सम्मिलित होने के लिए वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारी को लिखित सूचना भेजे थे। पावती संलग्न है।

- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किये।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। इसीलिए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उनका हस्ताक्षर नहीं है।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए लेकिन भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नहीं किये।

अतः आपसे आग्रह है कि नियम 12 क की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे की कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए हमारे सामुदायिक वन अधिकार दावों को जिला स्तरीय समिति के पास अनुशंसा करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

ग्राम वन अधिकार समिति बसिया

2.14 गाँव के वन क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए मान्यताओं का एक नमूना

आज दिनांक ..... को ग्राम..... ग्राम पंचायत..... प्रखण्ड.....

..... जिला.....के ग्राम सभा की बैठक ग्राम प्रधान श्री..... पिता श्री.....

..... की अध्यक्षता में दिन के .....बजे .....पर/में संपन्न हुआ।

इस बैठक में वन अधिकार कानून की धारा 3 (1) की उपधारा (झ) के अंतर्गत गाँव की सीमा के अंदर अवस्थित वन संसाधनों की रक्षा करने और उसका प्रबन्धन करने के लिए ग्राम सभा के अधिकार और जिम्मेवारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी। तत्पश्चात् निम्नलिखित मान्यताओं को आम सहमति से पारित किया गया।

1. गाँव की सीमा के अंदर के सभी प्राकृतिक संसाधनों को विशेष करके जंगल और पर्यावरण को बचाना उसकी रक्षा करना एवं प्रबन्धन करना ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य का अधिकार और उनकी जिम्मेदारी होगी।
2. सभी सदस्य जंगल को आग लगाने से बचायेंगे। किसी की लापरवाही से या जान बूझ कर आग लगाते हुए पकड़े जाने पर 1000 रूपया जुर्माना वसूला जायेगा।
3. किसी तरह आग लगने पर गाँव के वन प्रबन्धन समिति गाँव वालों को सूचित करके उसे बुझाने की व्यवस्था करेंगे।
4. महुआ फल गिरने के पहले कोई भी अपना महुआ पेड़ के नीचे आग नहीं लगायेंगे। झाड़ू से साफ करेंगे। (यदि आग लगा कर साफ करना अनिवार्य है तो जरूरत भर जला कर आग को बुझायेंगे। अपने पेड़ से आग फैल जाने पर उस व्यक्ति से 1000 रुपया जुर्माना वसूला जायेगा।
5. खेती के समय गाँव में मवेशियों को घुसने निकलने का रास्ता को छोड़कर कहीं भी जंगल से बाँस या तोंबा लाकर कोई भी घोराना नहीं करेंगे।
6. जलावन के लिए निम्नलिखित पेड़ों को काटने पर सख्त मनाही होगी।

   1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....
7. लघु वन संपदा और सूखे जलावन को छोड़कर कोई भी वन संपदा किसी को भी जरूरत पड़ने पर वन प्रबंधन समिति से अनुमति लेंगे।
8. इमारती लकड़ी को बेचने की अनुमति किसी को नहीं दी जायेगी।
9. सभी वन्य प्राणियों का जो गाँव की सीमा के अंदर विचरते है, रक्षा करना सभी सदस्यों की जिम्मेवारी होगी। कोई भी वन्य प्राणियों का शिकार नहीं करेंगे।
10. जंगल में मवेशियों को चराते समय कोई भी बाँस या अन्य पेड़ काटकर मवेशियों को नहीं खिलायेंगे।
11. किसी फलदार वृक्ष से फल तोड़ने के लिए उस पेड़ को नहीं काटेंगे। पकड़े जाने पर 500 रुपया जुर्माना वसूला जायेगा।

12. प्रत्येक साल जुलाई महीना से सितम्बर महीना तक जहां पर बांस है वहां पर मवेशियों को नहीं चरायेंगे ताकि करील बच सकें।

13. कोई भी करील को तोड़कर नहीं बेचेंगे। पकड़े जाने पर प्रत्येक करील पर 50 रूपये के हिसाब से जुर्माना वसूलेंगे।

14. इन मान्यताओं का पालन सुनिश्चित करने और जंगल का सही प्रबन्धन करने के लिए ग्राम सभा वन अधिकार नियम की धारा 4 उपधारा (ङ) के अंतर्गत एक वन प्रबन्धन समिति का गठन करती है।

15. इस समिति में 12 सदस्य होंगे। उनमें कम से कम आधा सदस्य महिलाएँ होंगी।

16. इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन ग्राम सभा उचित समझने पर किसी भी सदस्य को बीच में बदल सकेंगे।

17. इस समिति का कोई पदाधिकारी नहीं होगा। केवल एक संयोजक होंगे और वह महिला होगी।

18. यह समिति पूर्ण रूप से ग्राम सभा के नियंत्रण में और मार्गदर्शन में काम करेंगे। समिति अपने गतिविधियों का विवरण समय समय पर ग्राम सभा को देंगे।

19. वन अधिकार नियम की धारा 4 उपधारा (च) के अंतर्गत वन विभाग इस वन क्षेत्र के लिए अपनी कार्ययोजना को वन प्रबन्धन समिति द्वारा ग्राम सभा के सामने विचारार्थ पेश करेंगे।

20. इन मान्यताओं के उल्लंघन करने में जहाँ पर दण्ड निर्दिष्ट नहीं है, वन प्रबंधन समिति दण्ड/जुर्माना को तय करेंगे।

21. सभी दण्ड की राशि गाँव के वन प्रबंधन समिति के नाम पर बैंक में एक खाता खोलकर उस में जमा करेंगे।

22. इसके अलावा लघु वन संपदा के विपणन से जो राशि ग्राम सभा के पास जमा होंगे, उसे भी इस खाता में जमा करेंगे।

23. इस खाता को संयोजक को छोड़ कर वन प्रबन्धन समिति के दूसरे दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा।

24. इस कोष से सामान्य खर्च के लिए ग्राम सभा निकासी की अनुमति समिति को दे सकते हैं।

25. कोई विशेष खर्च के लिए प्रत्येक बार ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

26. इस खाते से पैसे की निकासी के लिए प्रत्येक बार समिति के आधा से अधिक सदस्यों से पारित प्रस्ताव को भी बैंक में जमा करना होगा।

27. ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में समिति आय–व्यय का हिसाब ग्राम सभा के सामने रखेंगे।

28. समय–समय पर ग्राम सभा इन मान्यताओं में संशोधन कर सकते हैं।

29. ग्राम सभा से इन मान्यताओं के पारित होने के बाद गाँव की सीमा में पड़ने वाले ग्रामों के ग्राम प्रधानों को सूचनार्थ इसकी छाया प्रति प्रेषित करने की व्यवस्था वन प्रबन्धन समिति करेगी।

30. इन मान्यताओं की छाया प्रति अनुमंडल पदाधिकारी ..... और वन क्षेत्र पदाधिकारी ....को देने की व्यवस्था वन प्रबन्धन समिति करेगी।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

1. .....

2. .....

अंत में सभापति ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की सम्पति की घोषणा की।

.....

ग्राम प्रधान/सभापति का हस्ताक्षर और मोहर

सचिव

व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के लिए नमूना

3.1 प्रथम प्रति : दावेदार के लिए

क्र.सं.....

व्यक्तिगत अधिकार दावा प्रारूप (निःशुल्क)
भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप - "क"

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 11 (1) (क) देखें

1.	दावेदार (रों) का/के नाम	जीतु सिंह
2.	पति/पत्नी का नाम	कबूतरी देवी
3.	पिता/माता का नाम	नन्हकू सिंह
4.	पता	पोस्ट गारू
5.	ग्राम	सुरकुमी, टोला नावाटोली
6.	पंचायत	ठांगरटोला
7.	प्रखंड/अंचल	गारू
8.	जिला	लातेहार
9.	(क) अनुसूचति जनजाति : हाँ/नहीं (प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हाँ/नहीं (यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से हैं तो प्रमाणपत्र की अभि-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	हाँ संलग्न 1 नहीं
10.	परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु (बालकों और वयस्क आश्रितों सहित)	संलग्न 2

भूमि पर दावे का स्वरूप

1.	अधिभोग की गई भूमि का विस्तार (क) निवास के लिये (ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो (अधिनियम की धारा 3(1) (क) देखें)	खता न0 17 प्लॉट न0. 497 रकबा 0.20 डी. खाता न0. 17 प्लॉट न0. 448 रकबा 0.75 डी. खाता न0. 17 प्लॉट न0. 497 रकबा 2.50 डी. खाता न0. 17 प्लॉट न0. 443 रकबा 1.25 डी. ———————— **कुल प्लॉट 3 रकबा 4.70 डी**
2.	विवादित भूमि, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (च) देखें)	—— नहीं है

3. पट्टे / धृतियों / अनुदान, यदि कोई हो (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें) — नहीं है

4. यथावत पुनर्वास हेतु भूमि या आनुकल्पिक भूमि, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें) — नहीं है

5. भूमि जहाँ से बिना मुआवजा दिए, विस्थापित किए गए हैं : (अधिनियम की धारा 4 (8) देखें) — नहीं है

6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो (अधिनियम की धारा 3 (1) (ज) देखें) — नहीं है

7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) देखें)

1. समर्थन में साक्ष्य (नियम 13 देखें)

संलग्न 3

2. अन्य कोई सूचना

दावेदार (रों) के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

संलग्न – 1. जाति प्रमाण पत्र की अभि-प्रमाणित प्रति
2. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु
3. समर्थन में साक्ष्य : (क) नियम 13.1 (ग) के अंतर्गत दावित वन भूमि पर सुधारों का शपथ पत्र
(ख) नियम 13.1 (झ) के अंतर्गत बुजुर्गों का शपथ पत्र
(ग) नियम 13 (ज) के अंतर्गत वंशावली खतियानी रैयत से दावेदार तक
(घ) नियम 13.1 (ख) के अंतर्गत – मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति
(ड.) नियम 13.1 (घ) के अंतर्गत वन विभाग द्वारा दायर मुकदमा के एफ.आई. आर. की प्रमाणित छाया प्रति
(यदि तारीख 13 दिसंबर 2005 से पहले आपके ऊपर वन विभाग केस किया हो तो)

3.2 प्रथम प्रति : दावेदार के लिए

क्र.सं.

व्यक्तिगत अधिकार दावा प्रारूप (नःशुल्क)

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप - "क"

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 11 (1) (क) देखें

1.	दावेदार (रों) का/के नाम	बिसुन भुईया
2.	पति/पत्नी का नाम	बसंती देवी
3.	पिता/माता का नाम	फगु भुईया
4.	पता	पोस्ट सेरेक
5.	ग्राम	तरहसी
6.	पंचायत	तरहसी
7.	प्रखंड/अंचल	चंदवा
8.	जिला	लातेहार
9.	(क) अनुसूचति जनजाति : हाँ/नहीं (प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हाँ/नहीं (यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से हैं तो प्रमाणपत्र की अभि-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	नहीं हाँ
10.	परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आय (बालकों और वयस्क आश्रितों सहित)	संलग्न 2

भूमि पर दावा का स्वरुप

1.	अधिभोग की गई भूमि का विस्तार (क) निवास के लिये (ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो (अधिनियम की धारा 3 (1) (क) देखें)	खाता न. 34 प्लॉट न. 558 रकबा 0.20 डी खाता न. 34 प्लॉट न. 558 रकबा 1.25 डी खाता न. 34 प्लॉट न. 497 रकबा 2.50 डी खाता न. 34 प्लॉट न. 443 रकबा 1.25 डी ———————— **कुल प्लॉट 3 रकबा 4.70 डी**
2.	विवादित भूमि, यदि कोई हो (अधिनियम की धारा 3 (1) (च) देखें)	नहीं है
3.	पट्टे/धृतियों/अनुदान, यदि कोई हो (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)	नहीं है

4.	यथावत पुनर्वास हेतु भूमि या आनुकल्पिक भूमि, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)	नहीं है
5.	भूमि जहाँ से बिना मुआवजा दिए, विस्थापित किए गए हैं (अधिनियम की धारा 4 (8) देखें)	नहीं है
6.	वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो (अधिनियम की धारा 3 (1) (ज) देखें)	नहीं है
7.	अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) देखें)	
8.	समर्थन में साक्ष्य (नियम 13 देखें)	संलग्न 3
9.	अन्य कोई सूचना	

दावेदार (रों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

संलग्न – 1. 1930 से पहले के खतियान की अभि-प्रमाणित प्रति

2. परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और आयु

3. समर्थन में साक्ष्य : (क) नियम 13 (ग) के अन्तर्गत शपथ पत्र
(ख) नियम 13 (झ) के अन्तर्गत शपथ पत्र
(ग) नियम 13 (ज) के अंतर्गत वंशावली खतियानी रैयत से दावेदार तक
(घ़) नियम 13 (ख) के अंतर्गत –मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति
(ड.) नियम 13.1 (घ) के अंतर्गत वन विभाग द्वारा दायर मुकदमा के एफ.आई.आर की प्रमाणित छाया प्रति
(यदि तारीख 13 दिसंबर 2005 से पहले आपके ऊपर वन विभाग केस किया हो तो)

3.3 व्यक्तिगत दावा के लिए नियम 13.1 ग के आधार पर दावित जमीन पर सुधारों का शपथ पत्र

आज दिनांक : 10.8.21 को मैं, श्री जितू सिंह, पिता कन्हाई सिंह,
ग्राम सुरकुमी, ग्राम पंचायत ढांगरटोला, अंचल गारू, शपथ खाता हूँ कि :

1. मैं खाता न...17.... प्लॉट न ...448, 497, 443... के करीब ..4070..... एकड़ वन भूमि पर 13.12.2005 के पहले से स्वयं खेती करके अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा हूँ।
2. उपरोक्त वन भूमि पर मैं अपने मेहनत से निम्नलिखित सुधार किया हूँ।
3. मैं उपरोक्त वन भूमि पर 01 घर बनाया हूँ।
4. मैं उपरोक्त वन भूमि पर 01 कुँआ बनाया हूँ।
5. मैं उपरोक्त वन भूमि पर करीब 3.00 एकड़ भूमि का समतलीकरण किया हूँ।
6. मैं उपरोक्त वन भूमि पर 0.10 एकड़ भूमि का धान खेत बनाया हूँ।
7. मैं उपरोक्त वन भूमि पर 18 आरी/मेड़ बनाया हूँ।
8. मैं उपरोक्त वन भूमि पर 1 बान्ध बनाया हूँ।
9. मैं उपरोक्त वन भूमि पर 1 आम 2 अमरूद 1 कटहल 3 सागवान 2 सीसम 5 अन्य पौधा लगाया हूँ।

जितू सिंह

दावेदार का नाम और हस्ताक्षर

(ध्यान दें : यह भरने के लिए प्रपत्र नहीं है। प्रत्येक दावेदार सादा कागज पर अपने द्वारा दावित वन भूमि पर किये गए स्थाई सुधारों को क्रम संख्या 3 से 9 तक में लिखें इसके अलावा दावेदार ने और कुछ स्थाई सुधार दावित वन भूमि पर किया है तो उसे भी लिखें।)

3.4 व्यक्तिगत वन अधिकार दावा के लिए नियम 13.1 झ के आधार पर अपने रिश्तेदारों को छोड़कर गाँव के किन्हीं 3 बुजुर्गों का शपथ पत्र

1. श्री **गोपाल सिंह** पिता **गणेश सिंह**

2. श्री **दशरथ सिंह** पिता **कन्हाई सिंह**

3. श्री **कमल बृजिया** पिता **धनू बृजिया**

सभी ग्राम .....सुरकुमी..... ग्राम पंचायत.....ठांगरटोला .....थाना.....गारू.....जिला.....
लातेहार..... के निवासी आज दिनांक .....12.08.21 को भापथ लेते हैं कि :–

1. हम श्री जितू सिंह पिता/ कन्हाई सिंह..... ग्राम...सुरकुमी..... ग्राम पंचायत..ठांगरटोला. .....थाना....गारू जिला....लातेहार..... को ...35.....सालों से जानते हैं।

2. जितू सिंह 13.12. 2005 के पहले से ग्राम सुरकुमी के खाता न. 17 प्लॉट न...448, 497, 443.... में करीब 4.70 एकड़ रकबा जमीन पर कब्जा करके और स्वयं खेती करके अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहे हैं।

3. उपरोक्त वन भूमि पर श्री/ जितू सिंह ने अपनी मेहनत से निम्नलिखित सुधार किया है।
4. श्री जितू सिंह उपरोक्त वन भूमि पर 01 घर बनाया है।
5. 01 कुँआ बनाया/यी है।
6. करीब करीब 3.00 एकड़ भूमि का समतलीकरण किया है।
7. 0.10 एकड़ भूमि का धान खेत बनाया है।
8. 18 आरी/मेड़ बनाया है।
9. 01 बान्ध बनाया है।
10. श्री जितू सिंह उपरोक्त वन भूमि पर 3 आम 2 आरूद 1 कटहल 3 सागवान 2 सीसम 5 अन्य पौधा लगाया है।

हस्ताक्षर 1. 2. 3.

(ध्यान दें : यह भरने के लिए प्रपत्र नहीं है। गाँव के 3 बुजुर्गों के दावेदार द्वारा दावित वन भूमि पर की गयी स्थाई सुधारों के बारे में कथन को सादा कागज पर क्रम संख्या 4 से 10 तक में लिखवायें और हस्ताक्षर करवायें। इसके अलावा दावेदार ने और कुछ स्थाई सुधार दावित वन भूमि पर किया है तो उसे भी जोड़ें।)

3.5

दावा प्राप्ति पंजी
(नियम 4.1 ख, 11.2.3)

ग्राम : सुरकुमी, ग्राम पंचायत : ठांगरटोला, प्रखण्ड : गारू, जिला : लातेहार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं.	आवेदक का नाम	दावा प्राप्ति की तिथि	जमीन का विवरण खाता प्लॉट, रकबा	साक्ष्य की संख्या	स्थल जाँच की तिथि	ग्राम सभा द्वारा निष्पादन की तिथि	अनुशंसित या अस्वीकृत	अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर
1	जितू सिंह	20.8.21	खाता न. 17 प्लॉट न. 448, 497, 443 रकबा 04.70 एकड़	03				

(उपरोक्त नमूना को एक रजिस्टर में उतारें और जितना दावेदार हैं उतना का तालिका बनायें)

3.6 व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेख (नियम 11.2.2)

कार्यालय, वन अधिकार समिति ग्राम : सुरकुमी, ग्राम पंचायत : ठांगरटोला प्रखण्ड : गारू, जिला : लातेहार

संख्या : 01 **वर्ष : 2023–2024**

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनो पर अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3. 1 (क) के अन्तर्गत वन भूमि की पट्टा के लिए दावा

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	कार्यवाही	आदेशों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी
	आवेदक / आवेदिका श्री / श्रीमती.....जितू सिंह ..... पिता / पति श्री कन्हाई सिंह .....ग्राम.....सुरकुमी..... थाना.....गारू.....प्रखण्ड.....गारू.....जिला..... लातेहार .. दिनांक .....20.08.21.....को निम्नलिखित विवरण के वन भूमि का पट्टा अपने नाम से निर्गत करने हेतु, व्यक्तिगत अधिकार दावा प्रारूप के साथ निम्नलिखित साक्ष्यों को संलग्न करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है। **जमीन का विवरण** **मौजा....सुरकुमी.....थाना न...56....** **खाता न. 17 प्लॉट न** 448, 497, 443 **रकबा 4.70 एकड़** **जमीन का किस्म वन भूमि** साक्ष्य– 1. नियम 13.1 ग के अंतर्गत..... 2. नियम 13.1ख के अंतर्गत..... 3. नियम 13.1 झ के अंतर्गत..... 4..... वन क्षेत्र पदाधिकारी.....गारू.....और अंचल पदाधिकारी.....गारू. .....को लिखित सूचना देकर वन अधिकार समिति दावा पत्र और साक्ष्य के सत्यापन के लिए दिनांक....07.09.21..... को स्थल निरीक्षण करें। आम इश्तहार निर्गत करें। .....निर्मल बृजिया..... ..... पुष्पा देवी..... अध्यक्ष सचिव वन अधिकार समिति	

अभिलेख उपस्थापित किया गया। वन अधिकार समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।

जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि वन विभग ~~/ राजस्व विभाग~~ के वन क्षेत्र में पड़ता है।

मौजा.....गारू.....थाना नं० 56

खाता नं०	**प्लॉट नं०**	**रकबा**	**जमीन का किस्म**
17	448,497,443	4.70	वन भूमि

आवेदक अनुसूचित जनजाति~~/ अन्य परंपरागत वन निवासी~~ है।

आवेदक का उपरोक्त भूमि पर दिसंबर 13, 2005 के पहले से कब्जा है~~/ नहीं है~~।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित साक्ष्य स्वीकार्य है/ ~~नहीं है~~।

1.नियम 13.1 ग के अंतर्गत.....

2. नियम 13.1ख के अंतर्गत.....

3. नियम 13.1 झ के अंतर्गत.....

4.....

इस आधार पर आवेदक का दावा अनुशंसित~~/ अस्वीकृत~~ किया जा सकता है। अभिलेख ग्राम सभा के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।

हस्ताक्षर

.....निर्मल बृजिया..... .....पुष्पा देवी.....
अध्यक्ष सचिव
वन अधिकार समिति

दिनांक .....10.9.21..... को ग्राम सभा.....सुरकुमी..... ग्राम पंचायत.....ठांगरटोला प्रखण्ड.....गारू..... ने श्री.....जितू सिंह..... .द्वारा दावित वन भूमि पर अधिकार को मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अभिलेख अनुशंसा के साथ अनुमण्डल स्तरीय समिति के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजने का निर्णय लिया है।

.....शनिचर सिंह.....

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान/मुखिया

3.7 वन अधिकार समिति ग्राम : सुरकुमी, ग्राम पंचायत : ठांगरटोला प्रखण्ड : गारू, जिला : लातेहार

पत्रांक.....01...../....21..... दिनांक.....25.08.21.....

प्रेषित – वन क्षेत्र पदाधिकारी....गारू.....
अंचल पदाधिकारी.....गारू.....

विषय – **व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का भौतिक सत्यापन**

संदर्भ – **2012 में संशेधित वन अधिकार नियम 2008 की धारा 12.1 और 12 क 1**

महाशय,

आपको सादर सूचित करना है कि, वन अधिकार नियम 2008 की धारा 12 के अंतर्गत दिनांक ....07.09.21. को वन अधिकार समिति प्राप्त व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण करने जा रही है। आपकी उपस्थिति उस अवसर पर अनिवार्य है। आपसे आग्रह है कि उस तारीख को वन अधिकार नियम 12क की उपधारा 1 के अंतर्गत खुद उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिथि को भेजकर हमें सहयोग देने और अपना प्रतिवेदन यदि कोई हो, लिख कर, अपना पदनाम और तारीख के साथ भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में और नक्शा में हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

निर्मल बृजिया
अध्यक्ष

पुष्पा देवी
सचिव

मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

वन अधिकार समिति

3.8 वन अधिकार नियम 2008 की धारा 12 (1) के अंतर्गत स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन।

आज दिनांक.....07.9.21.....को जिला .....लातेहार.....अंचल .....गारू.....के .अंचल

~~निरीक्षक~~ / कर्मचारी / ~~अमीन~~ तथा ~~वन क्षेत्र पदाधिकारी~~ / वनपाल के साथ वन अधिकार समिति.....सुरकुमी..... के द्वारा श्री / ~~श्रीमति.~~.....जितू सिंह.....

.पिता / ~~पति~~.....कन्हाई सिंह.....ग्राम.....सुरकुमी.....पंचायत .....ठांगरटोला..... अंचल.....गारू..... के दावित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। जाँच के क्रम में यह पाया गया कि दावित भूमि वन क्षेत्र / ~~मैसमज़रूआ खास~~ में पड़ता है जिसका विवरण निम्नवत है।

मौजा.....गारू..... थाना न.....56.....

खाता न.....17..... प्लॉट न..... 448, 497, 443.....

कुल रकबा .....4.70 एकड़ ..... जमीन का किस्म .....वन भूमि.....

- दावित भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से 31 दिसंबर 2007 तक दावेदार का लगातार कब्जा है / ~~नहीं है।~~
- दावेदार जीविकोपार्जन के लिए उपरोक्त वन भूमि पर निर्भर है / ~~नहीं है~~ ।
- दावेदार द्वारा प्रस्तुत एक से अधिक साक्ष्य सही है / ~~नहीं है~~।

पुष्पा देवी	निर्मल बृजिया	<>	<>
सचिव व.अ.स	अध्यक्ष व.अ.स.	राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक	वन क्षेत्र पदाधिकारी / वनपाल

3.9 वन अधिकार समिति ग्राम : सुरकुमी, ग्राम पंचायत : ठांगरटोला

प्रखण्ड : गारू, जिला : लातेहार

वन अधिकार समिति का प्रतिवेदन (नियम 11.2.5 और 12.2)

(यदि समिति के कोई भी सदस्य दावेदार हैं तो वह अपना दावे के बारे में वन अधिकार समिति की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और अपने बारे में इस प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वन अधिकार नियम 2008 धारा 3 उपधारा 3 देखें)

आज दिनांक.....08.09.21..... को वन अधिकार समिति....सुरकुमी की बैठक श्री.....निर्मल बृजिया.....की अध्यक्षता में दिन के....11.00..... बजे गाँव के अखड़ा.....में /~~मस~~संपन्न हुआ।

इस बैठक में श्री .....जितू सिंह.....पिता..... कन्हाई सिंह ..... ग्राम.....सुरकुमी... के वन भूमि में दावे पर विचार किया गया। दिनांक.....07.09.21... के स्थल निरीक्षण और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि :– श्री.....जितू सिंह.....पिता.....कन्हाई सिंह..... का

1. खता न....17..प्लॉट न....448, 497, 443 ..... में 4...एकड़.....70....डिसिमिल भूमि पर कब्जा है।
2. उपरोक्त जमीन वन भूमि है।
3. उपरोक्त वन भूमि पर उनका कब्जा 13.12.2005 के पहले का है।
4. उपरोक्त वन भूमि पर वह स्वयं खेती करता है और जीविकोपार्जन के लिए निर्भर है।
5. जो नक्शा अमीन/~~जी0पी0एस0~~ द्वारा बनाया गया है वह दावेदार के वास्तविक कब्जा को दर्शाता है।
6. स्थल निरीक्षण के समय वन और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे/~~नहीं थे।~~
7. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने अपना मन्तव्य दिया है/~~नहीं दिया है।~~ अतः वन अधिकार समिति द्वारा श्री.....जितू सिंह..... के दावे को सही और कानून सम्मत पाया गया और वन अधिकार नियम 2008 की धारा 11 उपधारा 2(5) के अंतर्गत ग्राम सभा के पास इस दावे को अग्रेतर कारवाई के लिए अनुशंसा किया जाता है।

उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....

3.10 वन अधिकार दावों की अनुशंसा के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना

आज दिनांक .....10.9.21.....को ग्राम सभा....सुरकुमी.....ग्राम पंचायत.....ठांगरटोला.....प्रखण्ड....गारू..... की बैठक ग्राम प्रधान....शनिचर सिंह.....पिता.....दशरथ सिंह..... की अध्यक्षता में दिन के .....11.00..... बजे... गाँव के अखड़ा.....में/~~मस~~ संपन्न हुआ।

अथवा

आज दिनांक ..... को ग्राम सभा ..... ग्राम पंचायत..... प्रखंड..... की बैठक दिन के .....बजे ..... पर संपन्न हुआ। ग्राम प्रधान के अनुपस्थिति में श्री/ श्रीमती ..... पिता/पति श्री..... को आज के ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया। बैठक में ...80.....पुरूष और....50..... महिलाएँ, कुल 130..... सदस्य उपस्थित थे। उनके बीच में ....15.....दावेदार भी उपस्थित थे। इस बैठक में वन अधिकार समिति, वन भूमि पर दावों के अभिलेख, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, अपने प्रतिवेदन एवं नक्शा के साथ प्रस्तुत किया।

(स्थल निरीक्षण के समय वन और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे/~~नहीं थे।~~ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने अपना मन्तव्य दिया है/~~नहीं दिया है।~~)

ग्राम सभा ने वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत सभी दावा अभिलेखों पर विचार विमर्श किया।

(वन और राजस्व विभाग के अधिकारी किसी भी अभिलेख में कुछ प्रतिवेदन लिखा है तो उस पर ग्राम सभा अपनी प्रतिक्रिया यहाँ दर्ज करें)

अतः ग्राम सभा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करते हैं।

1. ग्राम सभा निम्नलिखित दावेदारों का दावा नीचे दर्शित प्लॉट और रकबा के साथ स्वीकार करते हैं।

दावेदार का नाम	**पिता/पति का नाम**	**खाता नं०**	**प्लॉट नं०** **रकबा**
1. जितू सिंह	कन्हाई सिंह	17	448, 497, 443, 4.70 एकड़

2. ग्राम सभा निम्नलिखित दावेदारों का दावा अस्वीकार करते हैं।

दावेदार का नाम	पिता/पति का नाम	कारण
1.		
2.		

3. अभिलेख को अग्रेतर कार्यवाही के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति के पास भेजा जाय।

उपस्थित ग्राम सभा.....सुरकुमी.. के सदस्यों का हस्ताक्षर

1.

2.

अंत में सभापति ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा की।

.....शनिचर सिंह.....

ग्राम प्रधान/ मुखिया का हस्ताक्षर

(यह भरने के लिए प्रपत्र नहीं है, एक नमूना है। इसके आधार पर वन अधिकार समिति के रजिस्टर में कार्यवाही तैयार करें।)

3.11 वन अधिकार समिति

ग्राम : सुरकुमी, ग्राम पंचायत : ठांगरटोला, प्रखण्ड : गारू, जिला : लातेहार

पत्रांक ....02...../ ..21..... दिनांक ....15.09.21.....

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह
अध्यक्ष, अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति
महुआडाड़

विषय – वन अधिकारों से संबन्धित दावों का अभिलेख

महाशय,

ग्राम सुरकुमी के 15 व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेखों को, सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके, ग्राम सभा के अनुशंसा के साथ आप के कार्यालय में जमा किया जा रहा है. इसे स्वीकार कर के पावती देने और सभी दस्तावेजों के जाँच के बाद स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय वन अधिकार समिति लातेहार के पास भेजने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन
वन अधिकार समिति

.....निर्मल बृजिया.....
अध्यक्ष
मोबाईल न0.....

.....पुष्पा देवी.....
सचिव
मोबाईल न0.....

2.12 वन अधिकार समिति

ग्राम : सुरकुमी, अंचल : गारू, जिला : लातेहार

पत्रांक....03 / 21..... दिनांक .....05.10.21.

प्रेषित – 1. अंचल पदाधिकारी .....गारू.....

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी.....गारू.....

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी .... महुआडाड़.....'

विषय – **व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के भौतिक सत्यापन के लिए द्वितीय सूचना।**

संदर्भ – वन अधिकार नियम 12क (2)

महाशय,

दिनांक .....25.8.21..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति .....महुआडाड़..... की बैठक में ग्राम..... .....सुरकुमी.....ग्राम पंचायत.....ठांगरटोला..... के ...15.....(संख्या) वन अधिकार दावा अभिलेखों पर विचार किया गया था। उन दावा अभिलेखों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में वन अधिकार नियम 12क की उपधारा 1 के अंतर्गत वन और राजस्व विभाग के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण दावा अभिलेखों को ग्राम सभा को लौटाया गया है।

अतः इस पत्र द्वरा आपको सादर सूचित करना है कि दिनांक .....22.10.21.....दिन .... शुक्रवार.....के ... 11.....बजे दावों की पुनः भौतिक सत्यापन के लिए बैठक निर्धारित किया गया है।

आपसे आग्रह है कि निर्धारित तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर दावों के भौतिक सत्यापन में हमें सहयोग करने और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में आपका मन्तव्य यदि कोई हो, लिखकर, पदनाम और तारीख देकर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

इस द्वितीय सूचना पर भी आपकी अनुपस्थिति होने पर वन अधिकार नियम 12 "क" की उपधारा 2 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करने के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति के पास अनुशंसा किया जायेगा।

आपका विश्वासी

.....निर्मल बृजिया..... .....पुष्पा देवी.....

अध्यक्ष सचिव

मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

वन अधिकार समिति

3.13 वन अधिकार समिति

ग्राम : सुरकुमी, प्रखण्ड : ठांगरटोला अंचल : गारू, जिला : लातेहार

पत्रांक .....04..... / ....21.....

दिनांक : 23.10.21

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति .. महुआडाड़

विषय –व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का दुबारा भौतिक सत्यापन

महाशय,

दिनांक.....25.08.21..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय समिति .....महुआडाड़..... की बैठक में ग्राम .....सुरकुमी..... के ..15..(संख्या) व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेखों को इस कारण ग्राम सभा के पास वापस भेजा गया था कि दावा अभिलेखों में संलग्न भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है।

वन अधिकार समिति ने दोनों अधिकारियों को दिनांक ..... 22.10.21.....को पुनः दावों के सत्यापन करने के लिए लिखित सूचना भेजे थे। पावती संलग्न है।

- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किये।
- ~~निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। इसीलिए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उनका हस्ताक्षर नहीं है।~~
- ~~निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए लेकिन भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने से इनकार किया।~~

अतः आपसे आग्रह है कि नियम 12 "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे की कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए हमारे वन अधिकार दावों को जिला स्तरीय समिति के पास अनुशंसा करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

....निर्मल बृजिया	.....पुष्पा देवी.....
अध्यक्ष	सचिव
मोबाईल न0.....	मोबाईल न0.....

वन अधिकार समिति

संलग्न

अभिलेख ..... 15 ..... (संख्या)

3.14 अपील के लिए नमूना

प्रेषक – दावेदार. का नाम.....जितू सिंह.....

ग्राम.....सुरकुमी..... पंचायत....ठांगरटोला.... प्रखण्ड.....गारू.....

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष, अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति.....

अथवा

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति.....लातेहार.....

विषय – **ग्राम सभा/अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति के सिफारिश के खिलाफ अपील**

संदर्भ – वन अधिकार अधिनियम धारा 6 उपधारा 2 और 4, नियम धारा 14 / 15

महाशय,

मैं/हम लोगों ने ग्राम .....सुरकुमी..... पंचायत....ठांगरटोला..... प्रखण्ड ...गारू..... के खाता न0 ..... प्लॉट न0..... ..... में ..... एकड़ वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावा किया था।

दिनांक..... को संपन्न ग्राम सभा ..... की बैठक में मेरे/हमारे दावा को निरस्त किया गया / मेरे दावित वन क्षेत्र में कटौती किया गया जो मेरे साथ अन्याय है।

अथवा

दिनांक .....को संपन्न अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति ने ग्राम सभा से अनुशंसित मेरे/हमारे दावा को निरस्त करने/ मेरे/हमारे दावित वन क्षेत्र में कटौती करने का सिफारिश किया जो मेरे/हमारे साथ अन्याय है।

अतः मैं/हम आपसे अपील करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे दावे पर पुनर्विचार किया जाय और वन अधिकार नियम 14/15 के आधार पर कार्रवाई की जाय।

आपका विश्वासी

दावेदार (रों) का नाम और हस्ताक्षर

व्यक्तिगत अधिकार दावा प्रारूप
भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप - "क"

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
नियम, 2008 के नियम 11 (1) (क) देखें

1. दावेदार (रों) का/के नाम :

2. पति/पत्नी का नाम :

3. पिता/माता का नाम :

4. पता :

5. ग्राम :

6. ग्राम पंचायत :

7. प्रखंड/अंचल :

8. जिला :

9. (क) अनुसूचित जनजातिः हां/नहीं
(प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हां/नहीं
(यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से है तो प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु :
(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूप :

1. अधिभोग की गई भूमि का विस्तार :

क) निवास के लिए

ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1)(क) देखें)

2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1)(क) देखें)

3. पट्टे/पट्टे अनुदान, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)

4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या अनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ङ) देखें)

5. भूमि, जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना विस्थापित किए गए है :
(अधिनियम की धारा (4)(1)(8) देखें)

6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ज) देखें)

7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) देखें)

8. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)

9. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रारूप - ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
[नियम, 2008 का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें]

1. दावेदार (रों) का/के नामः
   क. एफ.डी.एस.टी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदायः हां/नहीं
   ख. ओ.टी.एफ.डी (अन्य परंपरागत वन निवासी) समुदायः हां/नहीं

2. ग्राम :

3. ग्राम पंचायत :

4. प्रखंड :

5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार ,यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार :–

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :

(ग) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हों :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

5. जैवविधिता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

6. अन्य पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

7. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रारूप - ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) और नियम 11 (1) और (4क) देखिए]

1 ग्राम /ग्राम सभा :

2 ग्राम पंचायत :

3 प्रखंड :

4 जिला :

5 ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परपंरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम, इस ग्रामसभा के अद्यो हस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिससे हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3 (1) (झ) के अधिन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चारागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और उन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुरूजीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है)

6 खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हो और यदि ज्ञात हो :

7 सीमा से लगते हुए ग्राम :

i)

ii)

iii)

iv)

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिये) :

दावेदार (दावेदारों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के लिए उपयुक्त प्रारूप

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

झारखण्ड सरकार

व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेख

(नियम 11.2.2)

कार्यालय, वन अधिकार समिति ..... पंचायत .....

प्रखण्ड ..... जिला .....

संख्या ..... वर्ष 2023–2024

अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वनों पर अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006
धारा 3. 1 (क) के अन्तर्गत वन भूमि की पट्टा के लिए दावा

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	**कार्यवाही**	आदेशों पर की गयी कार्यवाही की टिप्पणी
	आवेदक / आवेदिका श्री / श्रीमती..... पिता / पति श्री.....ग्राम..... थाना.....प्रखण्ड.....जिला..... दिनांक .....को निम्नलिखित विवरण के वन भूमि का पट्टा अपने नाम से निर्गत करने हेतु, व्यक्तिगत अधिकार दावा प्रारूप के साथ निम्नलिखित साक्ष्यों को संलग्न करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है। **जमीन का विवरण** **मौजा ..... थाना नं .....** **खाता नं.** **प्लॉट नं.** **रकबा –** **जमीन का किस्म–**	

साक्ष्य –

1. नियम 13.1ग के अंतर्गत
2. नियम 13.1झ के अंतर्गत
3. नियम 13.1ख के अंतर्गत
4. .....

वन क्षेत्र पदाधिकारी.....और अंचल पदाधिकारी.....को लिखित सूचना देकर वन अधिकार समिति दावा पत्र और साक्ष्य की सत्यापन के लिए दिनांक..... को स्थल निरीक्षण करें। आम इश्तहार निर्गत करें।

....

अध्यक्ष सचिव वन अधिकार समिति वन अधिकार समिति

अभिलेख उपस्थापित किया गया। वन अधिकार समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि वन विभग /राजस्व विभाग के वन क्षेत्र में पड़ता है।

मौजा..... थाना न.....

खाता न. प्लॉट न रकबा जमीन का किस्म

आवेदक अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी है। आवेदक का उपरोक्त भूमि पर दिसंबर 13, 2005 के पहले से कब्जा है/नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित साक्ष्य स्वीकार्य है/ नहीं है।

1. नियम 13.1ग के अंतर्गत
2. नियम 13.1झ के अंतर्गत
3. नियम 13.1ख के अंतर्गत
4. .....

इस आधार पर आवेदक का दावा अनुशंसित/अस्वीकृत किया जाता है। अभिलेख ग्राम सभा के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।

....

अध्यक्ष सचिव वन अधिकार समिति वन अधिकार समिति

दिनांक ..... को ग्राम सभा..... ग्राम पंचायत..... प्रखण्ड..... ने श्री..... .....द्वारा दावित वन भूमि पर अधिकार को मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अभिलेख अनुशंसा के साथ अनुमण्डल स्तरीय समिति के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजने का निर्णय ली है।

.....

हस्ताक्षर –ग्राम प्रधान/सभापति

वन अधिकार समिति .....

ग्राम पंचायत ..... प्रखण्ड ..... जिला .....

पत्रांक...../.....दिनांक.....

प्रेषित – वन क्षेत्र पदाधिकारी.....

अंचल पदाधिकारी.....

विषय – **दावों की भौतिक सत्यापन**

संदर्भ – 2012 में संशोधित वन अधिकार नियम 2008 के धारा 12.(1) और 12क.(1)

महाशय,

आप को सूचित करना है कि वन अधिकार नियम 2008 के धारा 12 के अंतर्गत दिनांक .....को वन अधिकार समिति प्राप्त व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण करने जा रहे हैं। आप की उपस्थिति उस अवसर पर अनिवार्य है। आप से आग्रह है उस तारीख को वन अधिकार नियम 12क के उपधारा 1के अंतर्गत अपने से उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिथि को भेज कर हमें सहयोग देने और अपना प्रतिवेदन यदि कोई हो, लिख कर, अपना पदनाम और तारीख के साथ भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में और नक्शा में हस्ताक्षर करने की कष्ट करें।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

वन अधिकार समिति

वन अधिकार नियम 2008 के धारा 12 (1) के अंतर्गत भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन

आज दिनांक.....को जिला .....अंचल .....के अंचल निरीक्षक/ कर्मचारी/अमीन तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी/ वनपाल के साथ वन अधिकार समिति..... के द्वारा श्री/श्रीमति.....

पिता/पति.....ग्राम.....पंचायत .....

अंचल..... के दावित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में यह पाया गया कि दावित भूमि वन क्षेत्र /गैरमज़रूआ खाता में पड़ता है जिस का विवरण निम्नवत है।

मौजा..... थाना न.....

खाता न..... प्लॉट न.....

जमीन का किस्म..... कुल रकबा.....

- दावित भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से 31 दिसंबर 2007 तक दावेदार का लगातार कब्जा है/नहीं है।
- दावेदार जीविकोपार्जन के लिए उपरोक्त वन भूमि पर निर्भर है/ नहीं है
- दावेदार द्वारा प्रस्तुत एक से अधिक साक्ष्य सही है/नहीं है।

.....	.....	.....	.....
सचिव व.अ.स	अध्यक्ष व.अ.स.	अंचल अधिकारी/ अंचल निरीक्षक	वन क्षेत्र पदाधिकारी/ वनपाल

वन अधिकार समिति .....ग्राम पंचपयत ..... प्रखण्ड.....जिला.....

वन अधिकार समिति का प्रतिवेदन (नियम 11.2.5 और 12.2)

(यदि समिति के कोई भी सदस्य दावेदार है तो वह अपना दावे के बारे में वन अधिकार समिति के कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और इस प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वन अधिकार नियम 2008 धारा 3 उपधारा 3 देखें)

आज दिनांक..... को वन अधिकार समिति..... का बैठक श्री.....के अध्यक्षता में दिन के..... बजे ..... पर संपन्न हुआ। इस बैठक में श्री .....पिता..... ..... ग्राम..... के वन भूमि पर दावे पर विचार किया गया। दिनांक..... के स्थल निरीक्षण और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि :–

श्री.....पिता..... का

1. खाता न.....प्लॉट न..... में .....एकड़.....डिसिमिल भूमि पर कब्जा है।
2. उपरोक्त जमीन वन भूमि है।
3. उपरोक्त वन भूमि पर उस का कब्जा 13.12.2005 के पहले का है।
4. उपरोक्त वन भूमि पर वह स्वयं खेती करता है और जीविकोपार्जन के लिए निर्भर है।
5. जो नक्शा अमीन द्वारा बनाया गया है वह दावेदार के वास्तविक कब्जा को दर्शाता है।
6. स्थल निरीक्षण के समय वन और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे/नहीं थे।
7. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अपना मन्तव्य दिया है/नहीं दिया है।

अतः वन अधिकार समिति श्री..... के दावे को सही और कानून सम्मत पाया और वन अधिकार नियम 2008 के धारा 11 उपधारा 2(5) के अंतर्गत ग्राम सभा के पास इस दावे को अग्रेत्तर कारवाई के लिए अनुशंसा करते है।

उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.

ग्राम वन अधिकार समिति.....

पंचायत ..... प्रखंड ..... जिला .....

पत्रांक ..... दिनांक .....

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति .....

विषय : **व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेखों को जमा करने के संबंध में।**

महाशय,

ग्राम ..... के ..... व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेखों को, सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके, ग्राम सभा के अनुशंसा के साथ आप के कार्यालय में जमा किया जा रहा है । इसे स्वीकार कर के पावती देने और सभी दस्तावेजों के जाँच के बाद स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय वन अधिकार समिति .... के पास भेजने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

---------- ----------

अध्यक्ष सचिव

मो०न०..... मो०न०.....

ग्राम वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति

ग्राम..... अंचल..... जिला.....

पत्रांक..... दिनांक .....

प्रेशित – 1. अंचल पदाधिकारी .....

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी.....

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी .....

विषय – **व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का भौतिक सत्यापन के लिए द्वितीय सूचना।**

संदर्भ – वन अधिकार नियम 12क (2)

महाशय,

दिनांक ..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति ..... की बैठक में ग्राम.....ग्राम पंचायत..... के .....(संख्या) वन अधिकार दावा अभिलेखों पर विचार किया गया था। उन दावा अभिलेखों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में वन अधिकार नियम 12क की उपधारा 1 के अंतर्गत वन और राजस्व विभाग के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण दावा अभिलेखों को ग्राम सभा को लौटाया गया है।

अतः इस पत्र द्वरा आपको सादर सूचित करना है कि दिनांक .....दिन .....बजे दावों की पुनः भौतिक सत्यापन के लिए बैठक निर्धारित किया गया है।

आपसे आग्रह है कि निर्धारित तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर दावों के भौतिक सत्यापन में हमें सहयोग करने और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में आपका मन्तव्य यदि कोई हो, लिखकर,पदनाम और तारीख देकर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

इस द्वितीय सूचना पर भी आपकी अनुपस्थिति होने पर वन अधिकार नियम 12 "क" की उपधारा 2 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करने के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति के पास अनुशंसा किया जायेगा।

आपका विश्वासी

---------- ----------

अध्यक्ष सचिव

मो०न०..... मो०न०.....

वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति

ग्राम ..... पंचायत.....

अंचल..... जिला.....

पत्रांक ...../..... दिनांक .....

प्रेशित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति .....

विषय – **व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का दुबारा भौतिक सत्यापन**

महाशय,

दिनांक..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय समिति ..... की बैठक में ग्राम . ..... के .....(संख्या) व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेखों को इस कारण ग्राम सभा के पास वापस भेजा गया था कि दावा अभिलेखों में संलग्न भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है। वन अधिकार समिति ने दोनों अधिकारियों को दिनांक .....को पुनः दावों के सत्यापन करने के लिए लिखित सूचना भेजे थे। पावती संलग्न है।

- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किये।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। इसीलिए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उनका हस्ताक्षर नहीं है।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए लेकिन भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

अतः आपसे आग्रह है कि नियम 12 "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे की कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए हमारे वन अधिकार दावों को जिला स्तरीय समिति के पास अनुशंसा करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

---------- ----------

अध्यक्ष सचिव

मो०न०..... मो०न०.....

वन अधिकार समिति

सामुदायिक वन अधिकार दावों के लिए उपयुक्त प्रारूप

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

झारखण्ड सरकार

दावा प्रपत्र ''ख'' और ''ग'' के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं।

संलग्न 1 – दावेदारों के नाम और हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

संलग्न 2 – दावित वन क्षेत्र का नक्शा (वन अधिकार नियम 2012 धारा 12 (1छ)

स्लग्न 3 – समर्थन में साक्ष्य

1. नियम 13 (झ) के अंतर्गत पड़ोसी गांव के बुजुर्गों के शपथ–पत्र

2. नियम 13 (क) के अंतर्गत एक दस्तावेज।

3. नियम 13 (2 ग) के अंतर्गत सरना/कब्रिस्तान/श्मशान/देवस्थान/खेल मैदान/..... का फोटो।

संलग्न 4– अनुमंडल स्तरीय समिति को सामुदायिक वन संसाधनों पर दावा की प्रक्रिया आरंभ करने की दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के सूचना की पावती। (नि. 11–1 ख और धारा 6 ख) और 12 (4)

संलग्न 5– वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण के लिए सूचना की पावती (नि. 12–1)

संलग्न 6– सीमांकन के लिए पड़ोसी गांवों के ग्राम प्रधान/ वार्ड सदस्य को सूचना की पावती।(नि. 11–ख)

संलग्न 7– स्थल निरीक्षण की कार्यवाही। (नि. 12क–1)

संलग्न 8– सीमांकन की कार्यवाही। (नि. 12–1च)

संलग्न 9– ग्रामसभा की कार्यवाही। (नि. 12–1छ)

संलग्न 4

वन अधिकार समिति

ग्राम.....ग्राम पंचायत.....

प्रखण्ड.....जिला .....

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह–अध्यक्ष,

अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति

.....

विषय सामुदायिक वन अधिकार दावा की प्रक्रिया आरंभ करने के बारे में सूचना और जरूरी दस्तावेजों के लिए मांग पत्र।

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 धारा 6 (ख), धारा 12 (4) और धारा 11(1 ख)

महाशय,

आप को सादर सूचित करना है कि ग्राम सभा..... ग्राम पंचायत..... अंचल..... अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के वन क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के लिए दावा पेश करने की प्रक्रिया दिनांक..... से आरंभ किया है। अतः आप से आग्रह है कि ग्राम वन अधिकार समिति .....को निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. ग्राम ..... ग्राम पंचायत.....अंचल..... में पड़ने वाला वन–क्षेत्र के मानचित्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(.....वन्य–प्राणी आश्रयणी के क्षेत्र के कंपार्टमेन्ट नं. ..... के मानचित्र की अभिप्रमाणित प्रति)

2. ग्राम..... के खतियान भाग दो/विलेज नोट की छाया–प्रति।

3. ग्राम ..... के मतदाता सूची की छाया–प्रति।

आपके सहयोग की प्रतीक्षा में,

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

संलग्न 3

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के धारा 13 (झ) के आधार पर सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार और सामुदायिक वन अधिकार के लिए बुजुर्गों का शपथ पत्र।

हम

1. श्री/श्रीमती..पिता/पति.......................................उम्र..............ग्राम.................................
2. श्री/श्रीमती..पिता/पति.......................................उम्र..............ग्राम.................................
3. श्री/श्रीमती..पिता/पति.......................................उम्र..............ग्राम.................................
4. श्री/श्रीमती..पिता/पति.......................................उम्र..............ग्राम.................................
5. श्री/श्रीमती..पिता/पति.......................................उम्र..............ग्राम.................................

आज दिनांक............................... को शपथ लेते हैं कि –

ग्राम .... के सभी निवासी सदियों से गांव की सीमा के अन्दर के कुल .... एकड़ वन क्षेत्र के

[और बेतला/सारंडा आरक्षित वन के कम्पार्टमेन्ट ....के कुल ....एकड़ वन क्षेत्र के (यदि आरक्षित वन–क्षेत्र पर दावा कर रहे हैं तो उसकी कंम्पार्टमेन्ट सं. और क्षेत्रफल हेक्टेयर में यहां लिखें)]

1. जंगल और वन्य–प्राणियों को अपनी क्षमता के अनुसार रक्षा करते आये हैं।
2. जहां तक संभव है, जंगल को आग से बचाते आये हैं।
3. इस जंगल में मुख्य रूप से ....
....
.... वृक्ष पाये जाते हैं।
4. बांस, केन्दु पत्ता, कन्द–मूल, जड़ी–बूटी, साग, फल–फूल, महुआ का फल और फूल, मुलहम पत्ता एवं अन्य लघु वन उपजों का संग्रहण और विपणन करते आये हैं।
5. इस जंगल से घर बनाने के लिए और कृषि योग्य औजार बनाने के लिए काष्ठ लाते आये हैं।
6. इस जंगल से जलावन के लिए लकड़ी लाते आ रहे हैं।
7. इस जंगल से घरेलू उपयोग के लिए पत्थर, बालू मिट्टी लाते आये हैं।
8. इस जंगल में मवेशियों को चराते और चारा लाते आये हैं।

9. उपरोक्त वन–क्षेत्र के ..... नदी..... जलाशय से

(क) गांव तक पानी लाकर सिंचाई करते आये हैं।

(ख) मछली मारते आये हैं।

(ग) मवेशियों के लिए पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते आये हैं।

10. इस जंगल में अन्य जल स्रोत .....(तालाब/डैम/झरना हैं)।

11. उनका कब्रिस्तान/श्मशान घाट उपरोक्त वन–क्षेत्र के प्लॉट नं. ..... में अवस्थित है।

12. उनका पूजा स्थल/ सरना/देवस्थान उपरोक्त वन–क्षेत्र के प्लॉट नं. ..... में अवस्थित है।

13. उनका खेल मैदान उपरोक्त वन–क्षेत्र के प्लॉट नं..... में अवस्थित है।

14. गाँव से .... जाने का रास्ता इस जंगल से होकर है।

15. पड़ोस के गांव .... के लोग इस जंगल से लघु वन उपज संग्रहण करते हैं और जलावन लाते हैं और इस जंगल में मवेशियों को चराते हैं।

16. गांव के जंगल में घुमंतू पशुपालक आते हैं तो उनका विवरण –

हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

(जो आप के गांव के लिए लागू नहीं है उसे काट दें और कुछ जोड़ना है तो जोड़ें। सामुदायिक वन अधिकार के लिए यह शपथ–पत्र पड़ोसी गांव के बुजुर्गों से बनवाना हैं)

संलग्न 5

वन अधिकार समिति

ग्राम..... ग्राम पंचायत.....

प्रखण्ड..... जिला .....

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रेषित –1. वन क्षेत्र पदाधिकारी.....

2- अंचल पदाधिकारी.....

विषय – **सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों के भौतिक सत्यापन**

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन–अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 की धारा 12(1) 12क (1)

महाशय,

आपको सादर सूचित करना है कि वन अधिकार नियम 2008 की धारा 12 के अंतर्गत दिनांक ..... को दिन .....के .....बजे वन अधिकार समिति सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन–संसाधनों पर अधिकार के दावों के भौतिक सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण करने जा रहे हैं। उसके लिए वन अधिकार समिति के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य एंव पड़ोसी गाँव से सदस्य ..... पर जमा हो रहे हैं।

आपकी उपस्थिति उस अवसर पर अनिवार्य है। आपसे आग्रह है उपरोक्त तारीख को और उपरोक्त स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर हमें सहयोग करने और आप का प्रतिवेदन यदि कोई हो, लिख कर, पदनाम तारीख के साथ हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

संलग्न 6

वन अधिकार समिति

ग्राम..... ग्राम पंचायत.....

प्रखण्ड..... जिला .....

पत्रांक –..... दिनांक.....

प्रेषित –
1. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम.....
2. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम.....
3. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम.....
4. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम.....

विषय – **सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों के बारे में भौतिक सत्यापन और सीमांकन**

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन–अधिकारों की मान्यता) नियम 2012 की धारा 11 (1) (ख)

महाशय,

आपको सादर सूचित करना है कि ग्राम.....के सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन–संसाधनों पर अधिकार का भौतिक सत्यापन और सीमांकन दिनांक ..... को दिन ..... के .....बजे होने वाला है। आपके गांव हमारे गांव के वन–क्षेत्र सीमा में है।

अतः आपसे आग्रह है कि यह सूचना अपनी ग्रामसभा के सदस्यों को विशेष रूप से गाँव के महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को देने का कष्ट करें ताकि वे उपस्थित होकर अपने विचार/सुझाव/आपत्ति, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत कर सकें और हमें सहयोग कर सकें।

आपके विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

(अनुसूचित क्षेत्र में आपके गांव की चारों सीमाओं में अवस्थित ग्रामों के ग्राम प्रधानों को और सामान्य क्षेत्र में वार्ड सदस्यों को लिखित सूचना देकर पावती जरूर लें और दावा अभिलेख में संलग्न करें।)

संलग्न 7

वन अधिकार नियम 2012 की धारा 12 (1) और 12क (1) के अंतर्गत सामुदायिक वन–संसाधनों पर अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकारों के बारे में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन

आज दिनांक ..... को वन अधिकार समिति ग्राम ..... ग्राम पंचायत..... अंचल.....जिला.....के द्वारा अपने गांव के सामुदायिक वन–संसाधनों पर अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकारों के दावों के भौतिक सत्यापन के लिए स्थल–निरीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित लोग उपस्थिति थे।

1. वन क्षेत्र पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि।
2. अंचल पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि।
3. ग्राम वन अधिकार समिति .....के .....महिला सदस्य समेत कुल.....सदस्य
4. ग्राम सभा.....के .....महिला सदस्य समेत कुल..... सदस्य
5. पड़ोसी गांवों के ..... महिला सदस्य समेत कुल.....सदस्य।

निरीक्षण के क्रम में पाया कि :–

1. ग्राम..... का कुल वन क्षेत्र ..... एकड़ है।
2. इस वन क्षेत्र से गांव वाले अपनी जरूरत की वन उपजों को लाते हैं।
3. जलावन के लिए सूखी लकड़ी लाते हैं।
4. इस जंगल से घरेलू उपयोग के लिए पत्थर, बालू और मिट्टी लाते आये है।
5. अपने मवेशियों को इस वन क्षेत्र में चराते हैं और यहां से चारा लाते हैं।
6. बीड़ी पत्ता, बांस, जड़ी बूटी, कन्द–मूल, फल–फूल इत्यादि लघु वन उपजों को पूरे वन क्षेत्र से संग्रहण करते हैं।
7. .....नदी/जलाशय से मछली मारते हैं।
8. इस नदी/जलाशय से सिंचाई के लिए वन भूमि से होकर पानी लाते आये हैं।
9. इस नदी/जलाशय में मवेशियों को पानी पिलाते हैं।
10. इस वन क्षेत्र में अन्य जल स्रोत ....है।
11. इस वन क्षेत्र में निम्न वृक्ष अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

....

....

12. इस गांव का श्मशान घाट/ कब्रिस्तान इस वन क्षेत्र के प्लॉट नं. .....में अवस्थित है।

13. इस गांव का सरना/देवस्थान इस वन क्षेत्र के प्लॉट नं. .....में अवस्थित है।

14. इस गांव का खेल मैदान इस वन क्षेत्र के प्लॉट नं. .....में अवस्थित है।

15. इस गांव से ....
जाने के लिए रास्ता इस जंगल से होकर है।

16. इस वन क्षेत्र में पड़ोसी गांव ....
..... के लोग मवेशी चराते हैं, जलावन ले जाते हैं और लघु वन उपजों का संग्रहण करते हैं।

17. इस गांव के जंगल में घुमंतू पशुपालक आते हैं /नहीं आते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है –

अध्यक्ष	सचिव	राजस्व अधिकारी	वन विभाग के अधिकारी
व.अ.स.	व.अ.स.		

संलग्न 8

वन अधिकार नियम 2012 की धारा 12 (1) (च) के अनुसार

ग्राम ..... अंचल ..... के वन क्षेत्र के सीमांकन की कार्यवाही

आज दिनांक .....को वन अधिकार समिति ..... ग्राम पंचायत ..... अंचल ..... जिला ..... ने वन अधिकार नियम 2012 के धारा 12 (च) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम ..... की परंपरागत सीमा के अंदर के वन क्षेत्र की सीमांकन की कानूनी–प्रक्रिया को विधि–सम्मत पूरा किया। इस अवसर पर

1. श्री.....पिता.....उम्र.....
2. श्री.....पिता.....उम्र.....
3. श्री.....पिता.....उम्र.....
4. श्री.....पिता.....उम्र.....
5. श्री.....पिता.....उम्र.....

सभी ग्राम .....के निवासी हैं, जो गांव के वन क्षेत्र की सीमाओं से भली–भांति वाकिफ हैं, उपस्थित थे।

इनके अलावा पड़ोसी गांव

1. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....
2. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....
3. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....
4. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....
5. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....

भी उपस्थित थे। इनके अलावा ग्राम .....के ग्राम प्रधान, वन अधिकार समिति और गाँव और पड़ोसी गांवों के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे।सभी लोगों ने मिलकर ग्राम ..... के वन क्षेत्र की सीमाओं का अवलोकन किया और पड़ोसी गांव के बुजुर्गों और अन्य लोगों को भी ग्राम ....के वन क्षेत्र की सीमा में कोई विवाद नजर नहीं आया।

ग्राम ..... के कुल वन क्षेत्र..... एकड़ है। ग्राम .....

के वन क्षेत्र के उत्तर में ग्राम.....दक्षिण में ग्राम.....

पूरब में ग्राम.....और पश्चिम में ग्राम.....की सीमा है।

हस्ताक्षर

ग्राम .....के बुजुर्ग

हस्ताक्षर

पड़ोसी गांव के बुजुर्ग

हस्ताक्षर

वन अधिकार समिति .....के सदस्य

ग्राम प्रधान/मुखिया/सभापति का हस्ताक्षर

वन अधिकार समिति

ग्राम..... ग्राम पंचायत.....

प्रखण्ड..... जिला .....

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रेषित –अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति..... जिला.....

विषय – **सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों का दावा अभिलेख**

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम धारा 6 (1) और नियम 2012 के धारा 11 (5)

महाशय,

ग्राम ..... ग्राम पंचायत..... प्रखण्ड..... के सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के दावों का भौतिक सत्यापन और सीमांकन दिनांक ..... को संपन्न हुआ और दिनांक ..... को संपन्न ग्रामसभा की बैठक में इन दावों के बारे में उचित प्रस्ताव पारित किया गया। इन दावा अभिलेखों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रेत्तर कारवाई के लिए भेजे जा रहे हैं। इन्हें स्वीकार करने और पावती प्रदान करने का कष्ट करें।

- दावा पत्र ''ख''के अंतर्गत दावित वन क्षेत्र का कुल रकबा ..... एकड़
- दावा पत्र ''ग'' के अंतर्गत दावित वन क्षेत्र का कुल रकबा ..... एकड़

आपका विश्वासी

---------- ----------

अध्यक्ष सचिव

मो०न०..... मो०न०.....

वन अधिकार समिति

ग्राम ..... अंचल..... जिला .....

पत्रांक..... दिनांक .....

प्रेषित – 1. अंचल पदाधिकारी .....

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी.....

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी .....'

विषय – **सामुदायिक वन अधिकार दावों के भौतिक सत्यापन के लिए द्वितीय सूचना।**

संदर्भ – वन अधिकार नियम 12क(2)

महाशय,

दिनांक ..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति ..... की बैठक में ग्राम.....ग्राम पंचायत..... के सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार दावों पर विचार किया गया था। अभिलेख में संलग्न दावों के भौतिक सत्यापन प्रतिवदेन में वन अधिकार नियम 12क के उपधारा 1 के अंतर्गत वन और राजस्व विभाग के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण दावा अभिलेखों को ग्राम सभा को लौटाया गया है।

अतः इस पत्र द्वारा आप को सादर सूचित करना है कि दिनांक .....दिन .....के ..... बजे दावों की पुनः भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित किया गया है।

आप से आग्रह है कि निर्धारित तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर दावों के भौतिक सत्यापन में हमें सहयोग करने और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में आप का मन्तव्य यदि कोई हो, लिख कर,पदनाम और तारीख देकर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

इस द्वितीय सूचना पर भी आप अनुपस्थित रहने पर वन अधिकार नियम 12क के उपधारा 2 के अंतर्गत आगे की कारवाई करने के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति के पास अनुशंसा किया जायेगा।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

वन अधिकार समिति

ग्राम ..... पंचायत.....अंचल..... जिला.....

पत्रांक ..... दिनांक .....

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,

अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति .....

विषय – **सामुदायिक वन अधिकार दावों के दुबारा भौतिक सत्यापन**

महाशय,

दिनांक..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय समिति ..... के बैठक में ग्राम ..... के सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार दावों को इस कारण ग्राम सभा के पास वापस भेजा था कि दावा अभिलेखों में संलग्न भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है।

वन अधिकार समिति ने दोनों अधिकारियों को दिनांक .....को पुनः दावों के सत्यापन करने के लिए लिखित सूचना भेजे थे। पावती संलग्न है।

- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किये।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। इसीलिए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उन का हस्ताक्षर नहीं है।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए लेकिन भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

अतः आप से आग्रह है कि नियम 12क के उपधारा (2) के अंतर्गत आगे की कानून सम्मत कारवाई करते हुए हमारे सामुदायिक वन अधिकार दावों को जिला स्तरीय समिति के पास अनुशंसा करने का कष्ट करें।

आपके विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

जनजातीय कल्याण आयुक्त

कार्यालय कल्याण परिसर, मोराबादी
राँची – 834 006 (झारखण्ड)

tw-com-jhn@nic.in, twcjhar1@gmail.com
+651-2550750 (टीडब्ल्यूसी सेल)

Transform Rural India | phia to end poverty | FES FOUNDATION FOR ECOLOGICAL SECURITY | ISB Bharti Institute of Public Policy

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
झारखण्ड सरकार